एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(निर्णय 11.12.2020 को सुरक्षित रखा गया)

(फैसला 04.01.2021 को सुनाया गया)

डब्ल्यूपीसी नंबर 1721/2020

1. मॉडर्न मेडिकल इंस्टिट्यूट सोसायटी लालपुर वर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश गोयल, पुत्र स्वर्गीय श्री हरि राम गोयल, उम्र लगभग 70 वर्ष, पंजीकृत कार्यालय लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

2. श्री सुरेश गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री हरि राम गोयल, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी शंकर नगर, रायपुर, (संस्थापक सदस्य तथा सोसायटी के निर्वाचित अध्यक्ष), जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. डॉ. हरक जैन पुत्र बी.एल. जैन उम्र लगभग 66 वर्ष निवासी गांधी चौक, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. सहायक रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी, ओ–5, अनुपम नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

5. संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर,जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

–– उत्तरदाताओं

डब्ल्यूपीसी संख्या 1789/2020

राजेंद्र अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री देवकरण दास अग्रवाल उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी गली नंबर 2, शिव मंदिर के पास, फाफाडीह, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ । **–––याचिकाकर्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492002. ।

2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492002. ।

3. संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492002. ।

4. रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन ब्लॉक 1, तीसरी मंजिल, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 492002., जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

5. अध्यक्ष मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसायटी, पंजीकृत कार्यालय लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492001., जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

6. डॉ. हरक जैन पुत्र श्री बी.एल. जैन आयु लगभग 66 वर्ष निवासी गांधी चौक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड 492001., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ । **--- उत्तरदाताओं**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>डब्ल्यूपीसी संख्या 1762/2020</u>

विजय चंद बोथरा पुत्र स्वर्गीय श्री संपत लाल बोथरा उम्र लगभग 67 वर्ष निवासी चौबे कॉलोनी, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ । **–याचिकाकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492002।

2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492002.।

3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 492002., जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–1, तृतीय तल, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड – 492002, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

5. अध्यक्ष मॉडर्न मेडिकल इंस्टिट्यूट सोसायटी, पंजीकृत कार्यालय लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492001., जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. डॉ. हरक जैन पुत्र श्री बी.एल. जैन आयु लगभग 66 वर्ष निवासी गांधी चौक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492001., जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरदाताओं

<u>डब्ल्यूपीसी संख्या 1781/2020</u>

नवल किशोर अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री भीमसेन अग्रवाल उम्र लगभग 66 वर्ष निवासी बी–2, समता कॉलोनी, रायपुर, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

––––––याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, वाणिज्य और उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492002.,

2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492002.।

3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492002.।

4. रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन ब्लॉक 1, थर्ड फ्लोर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 492002.।

5. अध्यक्ष मॉडर्न मेडिकल इंस्टिट्यूट सोसाइटी, पंजीकृत कार्यालय लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492 001.।

6. डॉ. हरक जैन पुत्र श्री बी.एल. जैन आयु लगभग 66 वर्ष निवासी गांधी चौक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492 001.। **--- उत्तरदाताओं**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>डब्ल्यूपीसी संख्या 1770/2020</u>

वीरेंद्र गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम लाल गोयल, उम्र लगभग 59 वर्ष निवासी शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492002, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492002, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड– 492002, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–1, तीसरी मंजिल, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड– 492002, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

5. अध्यक्ष, मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसायटी, पंजीकृत कार्यालय– लालपुर रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड– 492001. ।

6. डॉ. हरक जैन, पुत्र श्री बी.एल. जैन, उम्र लगभग 66 वर्ष निवासी गांधी चौक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड– 492001, **––– उत्तरदाताओं**

डब्ल्यूपीसी संख्या 1786/2020

सदाराम अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री बनारसदास जी अग्रवाल, उम्र लगभग 83 वर्ष निवासी मित्तल जूट कंपनी, मित्तल कॉम्प्लेक्स, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़,

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड– 492002. ।

2. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड – 492002.।

3. संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492002.।

4. रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, ब्लॉक – 1, तीसरी मंजिल, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड – 492002.।

5. अध्यक्ष मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, पंजीकृत कार्यालय लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492001.।

6. डॉ. हरक जैन पुत्र श्री बी.एल. जैन आयु लगभग 66 वर्ष निवासी गांधी चौक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 492001.। ---**उत्तरदाताओं**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>डब्ल्यूपीसी संख्या 1835/2020</u>

गोपाल कृष्ण अग्रवाल पुत्र सुखदेव भीमसरिया उम्र लगभग 64 वर्ष निवासी गली नंबर 2, शिव मंदिर के पास, फाफाडीह, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492 002.।

2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492 002.।

3. संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़. पिन कोड 492 002. ।

4. रजिस्ट्रार फर्म और सोसायटी, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन ब्लॉक 1, तीसरी मंजिल, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 492002. ।

5. अध्यक्ष मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसायटी, पंजीकृत कार्यालय लालपुर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492001. ।

6. डॉ. हरक जैन पुत्र श्री बी.एल. जैन आयु लगभग 66 वर्ष निवासी गांधी चौक, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 492 001. । **--- उत्तरदाताओं**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं द्वारा : श्री मनोज परांजपे, श्री अमित सोनी, श्री अभ्युदय सिंह, प्रियांशु गुप्ता, श्री. प्रसून अग्रवाल, श्री मयंक चंद्राकर एवं श्री करीं रोहन, अधिवक्तागण ।

राज्य–प्रतिवादियों द्वारा : श्री अमृतो दास, अतिरिक्त महाधिवक्ता ।

प्रतिवादी नंबर 3 हरक जैन द्वारा : डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत तिवारी अधिवक्तागण ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी

सी.ए.वी. निर्णय/आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. जैसा कि इन सभी याचिकाओं में तथ्य और कानून के प्रश्न शामिल हैं । इसलिए उनका निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा किया जायेगा ।

2. मुख्य याचिका मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसायटी लालपुर और सुरेश गोयल द्वारा दायर डब्ल्यूपीसी संख्या 1721/2020 है। इस याचिका में चुनौती छत्तीसगढ़ राज्य वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पारित दिनांक 21.07.2020 के आदेश को लेकर है, जिसके तहत सोसायटी के एक सदस्य प्रतिवादी संख्या 3 हरक जैन द्वारा प्रस्तुत अपील को सी.जी. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (जिसे आगे "1973 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 40 के तहत अनुमति दी गई थी । मामले का अलग दौर जो वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, अंततः 2007 में विवादित आदेश पारित हुआ।

3. वर्तमान मामलों को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि आधुनिक चिकित्सा संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत थी। सोसायटी में शुरू में 11 संस्थापक सदस्य शामिल थे और इसका गठन क्षेत्र के सभी लोगों को सुपर–स्पेशलिटी की चिकित्सा उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। समय बीतने के साथ दो संस्थापक सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, जिससे 9 सदस्य बने रहे और इस अवधि के दौरान कई सदस्यों को सदस्यता में शामिल किया गया। वर्ष 2007 में एक संस्थापक सदस्य ने शिकायत की कि 11 संस्थापक सदस्यों को छोड़कर, सदस्यता में शामिल किए गए अन्य सदस्य वैध सदस्य नहीं हैं और उन्हें सोसायटी के उपनियमों के विपरीत शामिल किया गया है। ऐसी शिकायत पर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज, छत्तीसगढ़ ने अधिनियम की धारा 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच के आदेश दिए । इसके बाद वर्ष 2011 में ही जांच रिपोर्ट के आधार पर सोसायटी से स्पष्टीकरण मांगा गया । सोसायटी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें सोसायटी ने तर्क दिया कि जिन सदस्यों को सोसायटी की सदस्यता में शामिल किया गया था, उन्होंने भारी मात्रा में दान दिया और उसके बाद सन 1989 से सन 2000 की अवधि के दौरान दान स्वीकार करते हुए उन्हें सदस्य बनाया गया और आगे तर्क दिया कि रसीदें और अन्य आवेदनों से संबंधित दस्तावेज नए शामिल सदस्यों के पास नहीं थे और शिकायतकर्ताओं के पास थे, क्योंकि वे सोसायटी के मामलों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शीर्ष पर थे। सदस्यता की स्वीकृति के समर्थन में, शिकायतकर्ता द्वारा हर साल रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली सदस्यों की सूची पर भरोसा किया गया।

4. रजिस्ट्रार ने इस स्पष्टीकरण के आधार पर आदेश पारित किया कि सोसायटी के निर्वाचित निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सोसायटी के वैध सदस्यों के बीच 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया । इसके अलावा यह भी देखा गया कि सोसायटी अपनी वैधता पर निर्णय लेने में सक्षम है । चूंकि कार्यकारी निकाय में किसी भी व्यक्ति को सदस्यता के साथ स्वीकार करने की शक्ति निहित है, हालांकि, निर्वाचित निकाय की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए नए चुनाव का आदेश दिया गया । सोसायटी ने शुरू में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस तरह के निर्देश के खिलाफ अपील दायर की, बाद में रजिस्ट्रार के आदेश का पालन करने के लिए सहमत हो गई । इसके बाद, दिनांक 18.11.2007 को एक आम सभा की बैठक बुलाई गई और माना गया कि जिन सदस्यों को शामिल किया गया था वे सभी वैध सदस्य थे और सोसायटी के उपनियमों में संशोधन किया गया था । आम सभा की बैठक के उक्त परिणाम की जानकारी रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी को दी गई, जिसे रजिस्ट्रार ने दिनांक 26.11.2007 को स्वीकार कर लिया और संशोधन को भी पंजीकृत मान्यता दी गयी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. रजिस्ट्रार के इस निर्णय से व्यथित होकर संस्थापक सदस्यों में से एक डॉ. हरक जैन (प्रतिवादी संख्या 3) ने अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत राज्य

सरकार के समक्ष अपील दायर की । प्रारंभ में उक्त अपील को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2008 को खारिज कर दिया गया था, जिसे डब्लू.पी. संख्या 6292/2008 में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने 2013 में पारित अपने आदेश के तहत अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को राज्य सरकार को वापस भेज दिया था। उस आदेश के विरुद्ध डब्लू.ए. संख्या 264/2013 के तहत रिट अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसका अंततः दिनांक 28.03.2019 को निर्णय हुआ, जिसके तहत अपील को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. यद्यपि पक्षकारों द्वारा लम्बी बहस की गई है, फिर भी हम अपने आपको केवल इस पहलू तक सीमित रखते हैं कि क्या सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 26.12.2007 को पारित आदेश अधिनियम, 1973 की धारा 10(2) के अंतर्गत आदेश है या नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि सहायक रजिस्ट्रार का उक्त आदेश अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

3. अधिनियम, 1973 की धारा 10(2) में प्रयुक्त भाषा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, तो सोसायटी के उपनियमों के अनुसार संशोधन रजिस्ट्रार को भेजा जाता है और यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि संशोधन

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं है, तो वह यदि उचित समझे तो संशोधन को पंजीकृत कर सकता है । इस प्रकार, संशोधन का पंजीकरण मंत्रिस्तरीय या यांत्रिक अभ्यास नहीं है। इसके बाद रजिस्ट्रार की संतुष्टि के रूप में विवेक का प्रयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधन अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता हो, यदि यह शक्ति रजिस्ट्रार को शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त दिशा–निर्देशों के साथ प्रदान की गई है, तो यह प्रयोग एक अर्ध न्यायिक शक्ति का प्रयोग बन जाता है और उस शक्ति के प्रयोग में पारित कोई भी आदेश एक आदेश के रूप में माना जाएगा ताकि इसे अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत राज्य सरकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन बनाया जा सके । यह मुख्य रूप से यही निष्कर्ष है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश में दर्ज किया है । इसलिए हम आरोपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं । अपीलीय प्राधिकारी अपील को अधिनियम, 1973 की धारा 10(2) के मापदंडों के भीतर गुण–दोष के आधार पर तय करेगा, बिना अपील दर्ज करने की हमारी अनिच्छा से पक्षपात किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. रिट अपील उपरोक्त टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है।

6. इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने 26.12.2007 के संशोधित उपनियमों को रजिस्ट्रार के समक्ष 02.08.2019 को चुनौती दी, जिसे दिनांक 12.02.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उपनियमों के संशोधन से संबंधित उक्त आदेश को सोसायटी द्वारा राज्य सरकार के समक्ष चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 12.02.2020 द्वारा अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद, सोसायटी के सदस्यों में से एक ने इस न्यायालय के समक्ष एक और रिट दायर की, जिसका नंबर डब्ल्यूपीसी संख्या 1055/2020 था। इस न्यायालय ने दिनांक 30.06.2020 के आदेश द्वारा राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया और मामले को इस आधार पर वापस भेज दिया चूंकि एक अपील पहले से ही उसी मुद्दे पर वापस भेजी गई है, इसलिए उपनियमों में संशोधन के संबंध में मुद्दे को लंबित अपील के साथ तय किया जाना है। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2020 को विवादित आदेश पारित किया गया, जिसके तहत सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई और सोसायटी के उपनियमों में संशोधन को खारिज कर दिया गया। दोनों आदेशों से व्यथित होकर, सोसायटी और संस्थापक सदस्यों में से एक द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 1721/2020 वाली तत्काल याचिका दायर की गई है। इसी तरह कुछ सदस्य भी सुनवाई चाहते थे और उन्होंने पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था, इसलिए पार्टी बनने के उनके आवेदन को दिनांक 15.07.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था, इसलिए याचिकाओं का एक और बैच भी उसी को चुनौती देते हुए पेश किया गया है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सोसायटी का पंजीकरण वर्ष 1989 में हुआ था। प्रारंभ में इसमें 11 सदस्य थे तथा बाद में नए सदस्यों को शामिल किया गया तथा सदस्यों की संख्या 69 हो गई। अधिवक्ता ने कहा कि जब नए सदस्यों को शामिल किया गया था, तब शिकायत करने वाले व्यक्ति कार्यकारी निकाय में थे तथा उन्होंने स्वयं सदस्यों को स्वीकार कर लिया था, जबकि अचानक उनमें से एक सदस्य ने धारा 32 का पालन किए बिना शिकायत कर दी, जिसके अनुसार या तो शासी निकाय के बहुमत या सोसायटी के एक तिहाई सदस्यों को शिकायत पर हस्ताक्षर करना चाहिए तथा शपथ पत्र संलग्न करना चाहिए, तभी रजिस्ट्रार संज्ञान ले सकता है। कहा गया है कि शिकायत वर्ष 2007 में की गई थी तथा रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 32 के तहत संज्ञान लिया गया था, जो कि प्रारंभ से ही अमान्य है। उन्होंने कहा कि जांच के पश्चात अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कुछ अनुपालन का निर्देश दिया गया था कि कार्यकारी निकाय को उपनियमों के अनुसार सदस्यों को स्वीकार करने का अधिकार था, लेकिन कार्यकारी निकाय जीवित नहीं था, इसलिए सोसायटी को आपस में सदस्यता तय करने और उसके बाद चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उस समय, चूंकि कार्यकारी निकाय पहले से ही एक निश्चित कार्यकाल का जीवन जी चुका था, इसलिए आम सभा की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बैठक आयोजित की गई थी और उक्त बैठक में सदस्यों की वैधता को स्वीकार किया गया था और उपनियमों में संशोधन किया गया था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता जो कार्यकारी निकाय के सदस्य थे, उनके पास दस्तावेज थे और उन्होंने निरीक्षण के दौरान रसीदें और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं किए, इसलिए वैध सदस्यों को दंडित नहीं किया जा सकता है और इसके अलावा कार्यकारी निकाय के सदस्यों ने खुद ही सदस्यों को स्वीकार कर लिया है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जांच रिपोर्ट में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सदस्यों द्वारा कोई राशि नहीं दी गई, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा जांच के दौरान रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने आगे कहा कि इन परिस्थितियों में, अधिनियम, 1973 की धारा 16 के तहत सूचना मोड के अनुपालन में पाए गए सदस्यों की सूची स्वीकार्य होगी। यह कहा गया है कि सदस्यों को स्वीकार करके रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देश के संबंध में अधिनियम, 1973 की धारा 32(4) का अनुपालन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आम सभा की बैठक 18.11.2007 को हुई थी और उस तिथि को कुल सदस्य 70 थे और उपनियमों के खंड 8 के अनुसार कोरम कुल सदस्यों का 1/3 और 70 का 1/3, 23 होता जबकि आम सभा की बैठक में 24 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि आम सभा सर्वोच्च है चूंकि कार्यकारी निकाय मौजूद नहीं था, आम सभा की बैठक का निर्णय कि उनके सदस्य वैध सदस्य थे, को खारिज नहीं किया जा सकता और उपनियमों में संशोधन वैध रूप से किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने कहा कि आम सभा की बैठक में भी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 3 ने भाग लिया, जिसके लिए विशिष्ट दलील मौजूद है और कोई इंकार नहीं किया गया है। इसके अलावा सदस्यता और भागीदारी लगभग 11 वर्षों की काफी लंबी अवधि तक जारी रही, इसलिए अंत में अचानक यह नहीं कहा जा सकता कि बाद में शामिल किए गए व्यक्ति वैध सदस्य नहीं थे।

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मामले की रिमांड के बाद अपील की सुनवाई संयुक्त सचिव द्वारा की गई जबकि आदेश प्रमुख सचिव द्वारा पारित किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए इसे संस्थागत सुनवाई नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक प्राधिकारी मामले की सुनवाई करता है और दूसरा प्राधिकारी आदेश पारित करता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता संख्या 1 सोसायटी के अलावा, सुरेश गोयल, याचिकाकर्ता संख्या 2 जो निर्विवाद रूप से संस्थापक सदस्य हैं, इस याचिका में शामिल हुए और प्रतिवादी संख्या 3 हरक जैन, जो संस्थापक सदस्य भी हैं, को एक पक्ष के रूप में रखा गया है। इसलिए, दो संस्थापक सदस्य अन्य सदस्यों की सदस्यता पर विवाद कर रहे हैं। एक बाद में शामिल किए गए सदस्यों का समर्थन कर रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 इसका विरोध कर रहा है। अतः इन परिस्थितियों में सदस्यों ने अपना पक्ष सुनने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने दस्तावेजों का हवाला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देते हुए कहा कि अपील की सुनवाई 16.7.2020 को निर्धारित की गई थी, जबकि तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ अभियोग आवेदन पर उनकी अनुपस्थिति में सुनवाई की गई। आगे यह तर्क दिया गया है कि अभियोग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की पीठ पीछे सुनवाई दिनांक 15.07.2020 तक टाल दी गई और बिना सुनवाई के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन को खारिज करने के आदेश पारित कर दिए गए। इस प्रकार एक बड़ी प्रक्रियात्मक अनियमितता की गई। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा अभियोग के लिए आवेदन करना आवश्यक था क्योंकि शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 3) को इस तथ्य की जानकारी थी कि रजिस्ट्रार ने कई सदस्यों को वैध सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, हालांकि, उन्हें राज्य सरकार के समक्ष अपील में शामिल किए बिना इन परिस्थितियों में, निजी रिट याचिकाकर्ता जो सदस्य हैं, को भी अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत अपील की सुनवाई करते समय सुना जाना आवश्यक है और उन्होंने दिनांक 15.07.2020 के आदेश (डब्ल्यूपीसी संख्या 1835 2020 और अन्य में अनुलग्नक पी–24 के रूप में दायर) को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिका इस कारण से विचारणीय नहीं है । दिनांक 21.07.2020 के आदेश के अनुसार, एक नया चुनाव पहले ही कराया जा चुका है और सुरेश गोयल, जिन्होंने एमएमआई की ओर से याचिका दायर की है, वे अब

अध्यक्ष नहीं हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस याचिका में सोसायटी के सदस्यों की वैध सदस्यता के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है कि 1973 के अधिनियम की धारा 16(3) सोसायटी के सदस्यों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो सकती है, लेकिन यह अकाट्य नहीं है और उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में जब रजिस्ट्रार ने 28.6.2007 को आदेश पारित किया था, जिसके तहत यह पाया गया था कि 11 संस्थापक सदस्यों को छोड़कर, शेष सदस्य वैध सदस्य नहीं हैं और इस तरह की अवैधता को सुधारने का निर्देश दिया गया था और चुनाव कराया गया था, तो सोसायटी ने इसे स्वीकार कर लिया था। चूंकि सोसायटी ने रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार अनुपालन स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह सोसायटी पर आपत्ति नहीं उठा सकती कि रजिस्ट्रार अधिनियम 1973 की धारा 32 के तहत शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकते थे। परिणामस्वरूप, भले ही हलफनामा संलग्न न किया गया हो कि एक तिहाई सदस्यों ने कानून का अनुपालन नहीं किया है, इसे उजागर नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सोसायटी की आम सभा की बैठक दिनांक 18.11.2007 को आयोजित की गई थी। ऐसी बैठक में भाग लेने वाले सदस्य अमान्य सदस्य थे और संस्थापक सदस्यों में से दो उपस्थित थे । यद्यपि रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 28.06.2007 को पारित आदेश ने सदस्यों को अमान्य कर दिया था, लेकिन बाद में जोड़े गए सदस्य मौजूद थे, उन सदस्यों ने आम सभा की बैठक में भाग लिया, इस प्रकार, अन्य सदस्यों के पास आम सभा की बैठक आयोजित करने की वैधता नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब रजिस्ट्रार की अनुपालन रिपोर्ट धारा 32(4) के तहत स्वीकार की गई थी, तो उसे सदस्यों में से एक हरक जैन, प्रतिवादी संख्या 3, अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत चुनौती दी गई थी। इसे खारिज कर दिए जाने के बाद, इसे 2008 के डब्ल्यूपी संख्या 6292 में चुनौती दी गई थी, जिसमें यह अनुमति दी गई कि 2008 के डब्ल्यूपी संख्या 6292 में पारित आदेश को वर्ष 2019 में रिट अपील में आगे पुष्टि की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस बीच, उपनियमों का संशोधन मुद्दा भी रजिस्ट्रार से चला गया क्योंकि संशोधन की स्वीकृति को भी हरक जैन ने चुनौती दी और रजिस्ट्रार ने हरक जैन द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत उप–नियमों में संशोधन को रद्द कर दिया गया और पुराने उप–नियमों को जारी रखने का निर्देश दिया गया। रजिस्ट्रार के इस आदेश को, जिसके तहत उप–नियमों में संशोधन को रद्द कर दिया गया था, सोसायटी ने राज्य सरकार के समक्ष चुनौती दी, जिसमें राज्य सरकार ने रजिस्ट्रार के आदेश को बरकरार रखा। सोसायटी ने इसे 2020 के डब्ल्यूपी संख्या 1055 में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया और साथ ही पहले की अपील के अनुरूप उठाए गए मुद्दे को भी तय किया और मामले को राज्य सरकार को वापस भेज दिया और अंततः दिनांक 21.07.2020 को आदेश पारित किया गया, जिसमें सदस्यता की वैधता और संशोधन शामिल हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उन्होंने कहा कि संशोधन में जो कुछ भी दर्शाया गया है, उससे यह पता चलता है कि यह सोसायटी के उद्देश्य को विफल करता है, जिसके लिए इसका गठन किया गया था और इसलिए संशोधन को सही तरीके से रद्द किया गया। एक अधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई और दूसरे अधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में विद्वान राज्य वकील ने आगे कहा कि 1973 के अधिनियम के अनुसार धारा 40 के तहत अपील का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (सी) "राज्य सरकार" को परिभाषित करती है, और आगे राज्य सामान्य खंड अधिनियम के अनुसार, "सरकार" को परिभाषित किया गया है। इन परिस्थितियों में, यह तर्क दिया जाता है कि अपील का निर्णय एक विशेष अधिकारी द्वारा किया जाना है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 443/2012 तथा अन्य द्वारा दिनांक 15.05.2013 को पारित निर्णय का संदर्भ दिया तथा प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा सुनवाई करना तथा उस पर निर्णय लेना संस्थागत सुनवाई के दायरे में आएगा, जो न्यायिक कार्यवाही से भिन्न होगा । इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उस पर दिए गए निर्णय को विधि के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकारी पदानुक्रम में समान प्रकृति के मामलों में संस्थागत सुनवाई अनुमेय है। अभियोग के संबंध में, वकील प्रस्तुत करेंगे कि विभिन्न सदस्यों द्वारा दायर आवेदन दुर्भावना से भरे हुए थे तथा इसमें अत्यधिक देरी की गई थी। वकील ने आगे कहा कि सदस्यों को रजिस्ट्रार के समक्ष 2013 से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लंबित कार्यवाही के तथ्यों की जानकारी थी, हालांकि, उन्होंने 2020 में अभियोग आवेदन प्रस्तुत किया। इसलिए, जब आचरण उचित नहीं था, तो वे अनुच्छेद 226 के तहत राहत पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि कार्यवाही सद्भावनापूर्ण नहीं थी। वह संशोधन आदेश का हवाला देते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए संशोधन से पता चलता है कि यह सोसायटी के उद्देश्यों को पराजित करता है और सदस्यता पर एक कैपिंग लगाता है और इसे वंशानुगत बनाता है। इस प्रकार परिस्थितियों में संशोधन को निरस्त कर दिया गया। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि तथ्यों के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय अच्छी तरह से योग्य है जिस पर किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रतिवादी संख्या 3 हरक जैन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला ने कहा कि इस मामले में शामिल मुद्दा सदस्यता की वैधता के बारे में है। सदस्यता का प्रश्न तथ्य का प्रश्न है और वैध सदस्यता तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न है। जिन सदस्यों को आम सभा की बैठक की तिथि पर वैध नहीं माना गया था, उन्होंने स्वयं आम सभा की बैठक बुलाई और अपनी सदस्यता को वैध ठहराया। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मामले का फैसला नहीं कर सकता क्योंकि सदस्यता की वैधता का फैसला अमान्य सदस्यों द्वारा किया गया था। **उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा जताया सचिव, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग बनाम ए.बी. नटराजन एआईआर एससीडब्ल्यू 2014 पृष्ठ 5746।** उन्होंने आगे कहा कि सोसायटी और उसके सदस्य प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मानते हैं।

14. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके पास दस्तावेज हैं और वे उन्हें पेश नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनियम, 1973 की धारा 25 में लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए अनुपालन का आदेश दिया गया है और धारा 28 के अनुसार, यदि लेनदेन 1 लाख रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक है, तो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित खाता प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परन्तु जांच के दौरान विधिवत लेखापरीक्षित खाते प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्होंने आगे कहा कि जांच के बाद रजिस्ट्रार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और माना गया कि कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाने के कारण सदस्य अमान्य थे। अमान्य सदस्यों ने 18.11.2007 को एक बैठक की और उसे रद्द कर दिया। इस प्रकार सदस्य अपने मामले के न्यायाधीश बन गए। उन्होंने आगे कहा कि सुनवाई के अधिकार के संबंध में सोसायटी सामूहिक निकाय की एक इकाई है, इसलिए व्यक्तिगत व्यक्ति को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने **एस.एल. कपूर बनाम जगमोहन एवं अन्य एआईआर 1981 एससी 136** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। जब सोसायटी का प्रतिनिधित्व किया गया था, तब व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी और पर्याप्त अनुपालन पहले ही किया जा चुका है। वंशानुगत सदस्यता की सुविधा के लिए संशोधन के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सदस्यता वंशानुगत नहीं हो सकती है । इसलिए, उत्तराधिकारियों को सदस्यता हस्तांतरित करने के लिए उप–नियमों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संशोधन कानून की दृष्टि से गलत होगा। उन्होंने आगे कहां कि सदस्यता कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए सदस्यता के लिए वंशानुगत की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे उप–नियमों में बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इसके मद्देनजर दिनांक 21.07.2020 का आदेश उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. (i) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दस्तावेजों का अवलोकन किया है। रिट याचिका संख्या WP(C) संख्या 1721/2020 सोसायटी और संस्थापक सदस्यों में से एक सुरेश गोयल द्वारा दायर की गई है। इस रिट याचिका में दो आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। एक आदेश दिनांक 21.7.2020 (अनुलग्नक पी–1) है जिसमें दो मुद्दे शामिल हैं, एक सदस्यता को अमान्य करने और संशोधित उपनियमों के बारे में है। एक अन्य निवेदन दिनांक 15.07.2020 के आदेश (अनुलग्नक पी–30) को रद्द करने के लिए की गई है जिसमें सदस्यों द्वारा पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपीसी संख्या 1835/2020 एवं अन्य के अन्य बैच में, दिनांक 21.07.2020 के आदेश (अनुलग्नक पी–1) एवं दिनांक 15.07.2020 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। निवेदन के साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रधान

सचिव द्वारा अपील पर पुनः सुनवाई करने तथा नया आदेश पारित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

16. दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि एम.एम.आई. नामक सोसायटी का गठन 1973 के अधिनियम के तहत 1989 में किया गया था, इसने अपना कार्य जारी रखा और पहली शिकायत 13.02.2007 को की गई थी (अनुलग्नक पी–7 का भाग)। शिकायत 5 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित थी, जिसमें शीर्षक था कि यह धारा 32(2) के तहत की गई है और जांच की मांग की गई थी। इसका तात्पर्य है कि 11 सदस्यों में से अन्य सदस्य सोसायटी के उपनियमों के अनुसार वैध सदस्य नहीं हैं। आगे यह भी शिकायत की गई कि सुरेश गोयल और कार्यकारी निकाय के सदस्य वैध सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाए। उक्त दस्तावेज पर एल.के. जैन, एम.के. धारीवाल, पी. गुप्ता, के. सिकारिया और हरक जैन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. सोसायटी की सदस्यता के संबंध में, अभिलेखों में दर्ज उपनियमों से पता चलता है कि कार्यकारी समिति को सदस्यता के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। सोसायटी के उपनियमों का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

> (c) **सदस्यता**: सोसायटी का सदस्य बनने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सोसायटी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। कार्यकारी समिति किसी विशेष व्यक्ति को सदस्यता देने का निर्णय लेगी।

कार्यकारी समिति को आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

सदस्यता की अन्य आवश्यकताओं के संबंध में, उप–नियमों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

(d) **योग्यता**: सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

i/आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।

ii/भारत का नागरिक होना चाहिए।

iii/नियमों का पालन करने का वचन देना चाहिए और समाज के विनियम।

iv/उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए ।

(e) **सदस्यता की समाप्ति:**

कोई सदस्य सदस्य नहीं रह जाएगा:

i/ मृत्यु पर

ii/ पागल हो जाने पर।

iii/ यदि सोसायटी के नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv/ यदि वह त्यागपत्र दे देता है और कार्यकारिणी समिति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है।

v/ यदि वह मूल रूप से नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध का दोषी पाया जाता है।

vi/ यदि वह संस्था के हित के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया जाता है। हालांकि, इसे इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई आम बैठक में, उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, एजेंडा पहले से सूचित करके, अनुमोदित करना होगा।

कार्यकारी समिति को उपरोक्त सभी परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(f) **उत्तराधिकार :**

यदि ऊपर वर्णित किसी भी कारण से कार्यकारी समिति में कोई पद रिक्त होता है तो उसे सोसायटी की कार्यकारी समिति के शेष सदस्यों द्वारा रिक्ति होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर भरा जाएगा।

18. शासन निकाय के सदस्यों के संबंध में अधिनियम 1973 की धारा 27 के अनुसार नामों की वार्षिक सूची और अन्य विवरण भेजना अनिवार्य है। प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है:

> **"27. दाखिल की जाने वाली शासी निकाय की वार्षिक सूची:–** प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के पश्चात्वर्ती पैंतालीसवें दिन को या उससे पूर्व, जिस दिन सोसायटी के विनियमों के अनुसार सोसायटी की वार्षिक आम बैठक आयोजित की जाती है, या यदि विनियमों में वार्षिक आम बैठक का प्रावधान नहीं है, तो 31 जनवरी के चौथे दिन के भीतर अध्यक्ष या सचिव द्वारा पूर्ण नाम, स्थायी पता, मुख्य व्यवसाय और अन्य, यदि कोई हो, की सूची, शासी निकाय के हस्ताक्षर के साथ, ऐसे प्रपत्र में, ऐसे दस्तावेजों के साथ, ऐसी फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है ।
>
> बशर्ते कि रजिस्ट्रार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अनुपालन के लिए पंद्रह दिन से अधिक का अतिरिक्त समय दे सकता है;
>
> बशर्ते कि यदि सोसायटी निर्धारित समय सीमा या विस्तारित समय के भीतर सूची दाखिल करने में विफल रहती है, तो वह निर्धारित समय या विस्तारित समय के अंतिम दिन से तीस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित विलंब शुल्क के साथ इसे दाखिल कर सकती है।

19. संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि धारा 27 अनुलग्नक पी–14 दिनांक 30.12.1997 के अनुपालन में, सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची सोसायटी के 66 सामान्य सदस्यों की सूची के साथ सहायक रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी को भेजी गई थी, जिसकी पावती भी है। पृष्ठांकन से पता चलता है कि यह रजिस्ट्रार के कार्यालय को 20.07.1998 को प्राप्त हुआ था, अनुपालन सोसायटी के उपनियम खंड 22 और वैधानिक आदेश के अनुसार किया गया प्रतीत होता है। यह जानकारी सचिव के रूप में महेंद्र कुमार धारीवाल द्वारा भेजी गई थी जो शिकायतकर्ताओं में से एक थे। तत्पश्चात दस्तावेज अनुलग्नक पी–15, धारा 27 के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न, मेहेन्द्र धारीवाल द्वारा दिनांक 06.07.1998 को सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज को भेजा गया, जो दिनांक 21.07.1998 को रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक 30.06.1998 को विद्यमान साधारण सदस्यों के विवरण सहित साधारण निकाय के सदस्यों की सूची संलग्न थी, जिसमें साधारण निकाय तथा साधारण सदस्यों के 66 नाम भेजे गए। इसी प्रकार, दस्तावेज अनुलग्नक पी–16 तथा वर्ष 2000 के सदस्यों की अन्य सूची सहायक रजिस्ट्रार को भेजी गई, जिसमें साधारण निकाय के विवरण तथा 66 सदस्यों की सूची भेजी गई। इसलिए, दस्तावेज प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि सोसायटी ने 1997 से 2000 तक सामान्य निकाय के सदस्यों के नाम और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साधारण सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार को वैधानिक अनुपालन के रूप में भेजी थी। दस्तावेज यह दर्शाता है कि सामान्य निकाय के सदस्यों और साधारण सदस्यों को स्वीकार करने वाले अनुपालन सचिव की हैसियत से महेंद्र धारीवाल द्वारा किए गए थे और प्रतिवादी संख्या 3, संस्थापक सदस्य होने के नाते किसी भी फोरम के समक्ष इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई और अनुपालन जारी रहा।

20. दाखिल दस्तावेजों की श्रृंखला से पता चलता है कि वर्ष 2007 में पहली बार 5 सदस्यों द्वारा, जिसमें महेंद्र धारीवाल, जिन्होंने पहले अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत अनुपालन रिपोर्ट भेजी थी, शिकायत के हस्ताक्षरकर्ता भी थे। उक्त शिकायत अधिनियम की धारा 32 के तहत की गई थी। जब शिकायत की गई, तो रजिस्ट्रार ने धारा 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच के आदेश दिए और अधिनियम की धारा 32(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक को नियुक्त किया। जांच के बाद, दिनांक 28.05.2007 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे अनुलग्नक पी–18 के रूप में दायर किया गया है। रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि 72 सदस्यों के नाम बताए गए थे। जांच अधिकारी ने अभिलेख की जांच के बाद बताया कि सदस्यता रजिस्टर में वर्ष 1989–91 से 2007 तक 72 नाम दर्ज हैं। मृत्यु और त्यागपत्र के कारण कुछ सदस्यों के नाम हटाए जाने का भी पता चला। अधिकारी ने आगे दर्ज किया कि हालांकि नाम पाए गए, लेकिन प्रवेश की तारीख, जमा सदस्यता शुल्क, रसीद की तारीख, सदस्यता की प्रकृति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलेखों से स्पष्ट हो गई और पाया गया कि अधिनियम 1973 की धारा 16 का अनुपालन नहीं किया गया था।

21. इसके अलावा, इसने दर्ज किया कि सदस्यता के लिए आवेदन पत्र नहीं मिले; न ही दान की राशि दिखाने वाला कोई दस्तावेज और न ही उसका कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, इसने पाया कि सदस्यता शुल्क/दान स्वीकार करने के बाद कार्यकारी निकाय ने सदस्यता स्वीकार की थी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है और यह राय दी कि चूंकि सदस्यता के लिए आवेदन पत्र कार्यकारी निकाय द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे, इसलिए सोसायटी कार्यकारी निकाय द्वारा स्वीकार की गई सदस्यता की वैधता साबित करने में विफल रही। सदस्यों के रजिस्टर के रखरखाव के संबंध में, अधिनियम 1973 की धारा 16 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम, 1973 की धारा 16 इस प्रकार है:

> **16. सदस्यों का रजिस्टर––** (1) एसोसिएशन के ज्ञापन के अभिदाता सोसायटी के प्रथम सदस्य होंगे।
>
> (2) प्रत्येक सोसायटी अपने मुख्यालय में अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगी, अर्थात:–
>
> (क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता और हस्ताक्षर, तारीख सहित
>
> (ख) वह तारीख जिस दिन सदस्यों को शामिल किया गया; सदस्य;

(ग) वह तारीख जिस दिन सदस्यों ने सदस्य रहना बंद कर दिया

(3) सदस्यों का रजिस्टर सोसायटी की सदस्यता और उसमें दर्ज सभी मामलों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा, परंतु कोई भी सदस्य जिसका अंशदान छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया है, इस अधिनियम के अधीन सोसायटी की किसी कार्यवाही में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि किसी सदस्य के प्रवेश या सदस्यता समाप्ति के तीस दिन के भीतर सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की जाती हैं तो [प्रत्येक पदाधिकारी को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 16 को पढ़ने से पता चलता है कि धारा 16 के तहत आवश्यकता की सीमा तक अनुपालन के मामले में, सदस्यों का रजिस्टर सदस्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा, जिसमें नाम, पता, हस्ताक्षर के संबंध में विवरण दर्ज किए जाते हैं, जिस तारीख को सदस्यों को शामिल किया गया था, जिस तारीख को सदस्य सदस्य नहीं रहे, उन्हें भरना आवश्यक है। इसलिए, जांच अधिकारी ने सदस्यता की अमान्यता के बारे में राय बनाने के लिए प्रथम दृष्टया आवश्यकता का उल्लंघन किया। धारा 16 की उप–धारा (4) से पता चलता है कि सदस्यता के रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं किए जाने की स्थिति में प्रत्येक पदाधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में, सदस्यों के रजिस्टर की अनुपस्थिति मुद्दा

थी, लेकिन सदस्यता की वैधता पर राय दी गई थी जो धारा 16 की विधायी आवश्यकता के लिए पूरी तरह से विदेशी है।

22. जब इन तथ्यात्मक पहलुओं का मूल्यांकन सोसायटी द्वारा दिनांक 27.06.2007 को प्रस्तुत अनुलग्नक पी–19 के उत्तर के साथ किया जाता है, तो सोसायटी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जांच अधिकारी द्वारा इंगित किए गए दस्तावेज कार्यकारी निकाय के पास हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तियों को सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था और चूंकि शिकायत उनके द्वारा की गई है, इसलिए वे स्पष्टीकरण देने की बेहतर स्थिति में होंगे। स्पष्टीकरण में आगे कहा गया है कि यदि कार्यकारी निकाय ने इस तथ्य के बावजूद कि लोगों ने बड़ी धनराशि दान की थी और वे सदस्य बन गए थे, जिसे तत्कालीन कार्यकारी निकाय ने स्वीकार कर लिया था, कोई दस्तावेज प्रस्तुत या बनाए नहीं रखा है, तो इसके लिए कार्यकारी निकाय ही दोषी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि सचिव होने के नाते महेंद्र कुमार धारीवाल ने अधिनियम 1973 की धारा 27 के अनुपालन में सदस्यों की सूची भेजी थी, जिसके तहत सदस्यों के नाम भेजे गए थे और जब शिकायत की गई थी, तो वह इस बात पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे कि संस्थापक सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों की सदस्यता अवैध है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जांच की गई थी, तो जांच अधिकारी को रसीदों के कोई दस्तावेज उपलब्ध

नहीं कराए गए थे। यदि शिकायतकर्ताओं के पास कार्यकारी निकाय के सदस्य होने के नाते दस्तावेज मौजूद थे और यहां तक कि दान की रसीदें, सदस्यता आवेदन पत्र के दस्तावेज भी नहीं रखे गए हैं, तो सदस्यों को दोषी नहीं माना जा सकता।

24. **अशोक कपिल बनाम सना उल्लाह (मृत) और अन्य (1996) 6 एससीसी 342** में सर्वोच्च न्यायालय ने "नुल्लस कमोडम कैपेरे पोटेस्ट डी इंजुरिया सुआ प्रोप्रिया" कहावत का हवाला देते हुए कहा कि "कोई भी व्यक्ति अपने गलत कामों का फायदा नहीं उठा सकता" और यह समानता के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इसलिए, इस मुद्दे को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि जब सदस्यों के बीच कोई विवाद लंबित नहीं था, तो शिकायतकर्ताओं का आचरण कैसा था। दस्तावेजों से पता चलता है कि जब सदस्य सामंजस्य में थे, तो शिकायतकर्ताओं में से एक जो संस्था के सचिव के रूप में कार्य कर रहा था । धारा 27 के अनुपालन में रजिस्ट्रार को सदस्यों के नाम भेजे, जो शासी निकाय के सदस्यों के नाम–साथ ही साधारण सदस्यों की सूची जो लगभग 69–70 थी, अन्य सदस्यों का आचरण वैध सदस्यता का अनुमान लगाने के लिए प्रासंगिक होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 13 उत्तर तक पहुँचने के लिए प्रासंगिक होगी। संक्षिप्तता के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. **जब अधिकार या प्रथा प्रश्नगत हो तो सुसंगत तथ्य.––** जहां प्रश्न किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व के बारे में है, वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं:––

(क) कोई ऐसा लेन–देन जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या प्रथा का सृजन, दावा, संशोधन, मान्यता, अभिकथन या खंडन किया गया हो, या जो उसके अस्तित्व से असंगत हो;

(ख) विशेष उदाहरण जिनमें अधिकार या प्रथा का दावा, मान्यता या प्रयोग किया गया हो, या जिसमें उसके प्रयोग पर विवाद किया गया हो, अभिकथन किया गया हो या उससे विचलन किया गया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, कार्यकारी निकाय के एक सदस्य द्वारा सदस्यों के नाम भेजना, जिस पर अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति नहीं की गई, निष्कर्ष निकालने के लिए प्रासंगिक तथ्य होगा। इन परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता को दस्तावेजों को रोककर लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना है।

25. सदस्यों के रजिस्टर के संबंध में इस तरह का निष्कर्ष निकालते समय, यह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत सदस्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा और सदस्यता में प्रवेश इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सोसायटी के प्रारंभिक निगमन के बाद जो नए सदस्य जोड़े गए थे, वे वर्ष 1991 से 2007 तक बने रहे, इस

प्रकार यह वैध सदस्यता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा । जिसे इस आधार पर नहीं बदला जा सकता कि कुछ विशेष विवरण जो अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अतिरिक्त आवश्यक नहीं हैं, उनका अनुपालन नहीं किया गया। उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि 2007 की तारीख को जब शिकायत की गई थी, सोसायटी की सदस्यता में 69 से 70 सदस्य शामिल थे।

26. दस्तावेज़ से पता चलता है कि राज्य की कार्यवाही अनुलग्नक पी–17 के अनुसार 5 सदस्यों द्वारा की गई शिकायत पर शुरू हुई । शिकायत को पढ़ने से पता चलता है कि यह अधिनियम, 1973 की धारा 32(2) के तहत की गई थी। चूंकि पूरी कार्रवाई अधिनियम, 1973 की धारा 32 के तहत थी, इसलिए सुविधा के लिए, धारा 32 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"32. विवादों की जांच और निपटारा.– (1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन पर स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित आदेश द्वारा किसी सोसायटी के गठन, कार्य और वित्तीय स्थिति की जांच कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की जांच आवेदन पर उसकी विषय–वस्तु के समर्थन में शपथ–पत्र के साथ की जाएगी –

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) उसे हर समय सोसायटी से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में रखी गई पुस्तकों, लेखा दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक निर्बाध पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी पुस्तकों, लेखा दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य संपत्तियों पर कब्जा रखता हो या उनकी अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार हो, बुला सकता है, यदि वे सोसायटी के मुख्यालय से संबंधित हों और यदि वे सोसायटी की किसी शाखा से संबंधित हों, तो उस शहर में किसी भी स्थान पर जहां उसकी ऐसी शाखा स्थित है या अपने कार्यालय में;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि उसे सोसायटी के किसी मामले की जानकारी है, सोसायटी के मुख्यालय या उसकी किसी शाखा या अपने कार्यालय में किसी भी स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और शपथ पर ऐसे व्यक्ति की जांच कर सकता है; और

(ग) (i) वह समाज की सामान्य बैठक के लिए सूचना की अवधि निर्दिष्ट करने वाले किसी विनियमन या उप–नियमों के होते हुए भी, समाज के पदाधिकारियों को समाज के प्रधान कार्यालय में या समाज

के मुख्यालय में किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय पर समाज की सामान्य बैठक बुलाने तथा ऐसे मामले का निर्धारण करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसा कि उसके द्वारा निर्देशित किया जा सकता है और जहां समाज के पदाधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इनकार करते हैं या असफल होते हैं, वहां उसे स्वयं बैठक बुलाने की शक्ति होगी;

(ii) उप–खण्ड (I) के अन्तर्गत बुलाई गई किसी बैठक को सोसायटी के विनियमों या उप–नियमों के अन्तर्गत बुलाई गई सामान्य बैठक की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा इसकी कार्यवाही ऐसे उप–नियमों द्वारा विनियमित होगी।

(4) जब इस धारा के अन्तर्गत कोई जांच की जाती है तो रजिस्ट्रार जांच के परिणाम को सोसायटी को सूचित करेगा तथा सोसायटी को उचित निर्देश जारी कर सकता है, जो सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होंगे;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपधारा (1) को पढ़ने से पता चलता है कि रजिस्ट्रार अपनी इच्छा से या उपधारा (2) के तहत किए गए आवेदन पर सोसायटी के गठन, कामकाज और वित्तीय स्थितियों की जांच कर सकता है। जब सदस्यों द्वारा शिकायत की जाती है, तो उपधारा (2) के तहत आवश्यक वैधानिक अधिदेश के अनुसार आवेदन को शपथ पत्र के साथ समर्थित किया जाना चाहिए, साथ ही इस तथ्य के साथ कि शासी निकाय के सदस्यों के बहुमत या सोसायटी के कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए। शिकायत में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है कि

शिकायत करने वाले व्यक्ति चाहे वे शासी निकाय के सदस्य थे या नहीं, यह पूरी तरह से चुप है और शिकायत की अवधि से पता चलता है कि यह उस तारीख को सोसायटी के अन्य सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं द्वारा नहीं किया गया है। शपथ पत्र की आवश्यक आवश्यकता भी गायब है। सोसायटी के उपनियम खंड 4 में कहा गया है कि सोसायटी के कार्यकारी निकाय में 21 सदस्य हैं, जिनमें से 11 संस्थापक सदस्य होंगे। शिकायत 5 सदस्यों द्वारा की गई थी। इसलिए भले ही उन्हें कार्यकारी निकाय या शासी निकाय का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उन्हें शासी या कार्यकारी निकाय का बहुमत सदस्य नहीं कहा जा सकता है। सोसायटी के उपनियम बताते हैं कि सोसायटी का प्रबंधन और विनियमन कार्यकारी निकाय को सौंपा गया है, इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए वे 1973 के अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत शासी निकाय की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। चूंकि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 32 (2) के तहत शिकायत 5 सदस्यों के कहने पर शुरू की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह धारा 32 (2) (ए) या (बी) की आवश्यकता को पूरा करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इसके अलावा, 1973 के अधिनियम की धारा 32(2) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर की गई शिकायत एक सामान्य आवेदन थी। धारा 32(2) को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि शिकायत को उसकी विषय–वस्तु के हलफनामे के साथ समर्थित किया जाना चाहिए। **शर्माधाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन समिति बनाम मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश** उच्च न्यायालय

की खंडपीठ ने 2003(2) एमपीएलजे 377 के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

> "13. 1973 के अधिनियम की योजना से पता चलता है कि रजिस्ट्रार का तात्पर्य केवल अध्याय 7 के प्रयोजन के लिए शिक्षा अधिकारी होगा और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए रजिस्ट्रार का तात्पर्य 1973 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त समितियों के रजिस्ट्रार से होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित आदेश 1973 के अधिनियम के अध्याय 7 के अंतर्गत नहीं है। धारा 40 के तहत अपील तभी हो सकती है जब धारा 4 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा आदेश दिया जाता है, इसलिए, जिला शिक्षा अधिकारी के दिनांक 24.01.2002 के आदेश के खिलाफ, अनुलग्नक ए –6, 1973 के अधिनियम की धारा 32 के तहत नहीं कहा जा सकता है। धारा 32 के तहत जांच केवल सोसायटी के शासी निकाय के सदस्यों के बहुमत या सोसायटी के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से कम नहीं होने वाले शपथ पत्र के साथ आवेदन पर ही की जा सकती है। चूंकि धारा 32(1) या 32(2) के तहत कोई जांच नहीं हुई थी, इसलिए रजिस्ट्रार सोसायटी को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता था। इस प्रकार,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुलग्नक ए–6 का आदेश बिना अधिकार और अधिकार क्षेत्र के है।"

इसलिए, बिना किसी हलफनामे के समर्थन के शिकायत का संज्ञान लेना कानून के विरुद्ध होगा और इसकी शुरुआत ही कानून की दृष्टि से गलत थी। इसलिए, डिवीजन बेंच (सुप्रा) के आदेश के मद्देनजर, गालिब मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य **डब्ल्यूपीसी संख्या 2071/2011** में राज्य द्वारा रखी गई निर्भरता, जो दिनांक 26.07.2018 को तय की गई थी, मामले के तात्कालिक तथ्यों में लागू नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. राज्य का यह तर्क है कि जांच की शुरूआत अधिनियम, 1973 की धारा 32 की उपधारा (1) के तहत स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि उपधारा (1) दो भागों में है, अर्थात रजिस्ट्रार अपनी इच्छा से या उपधारा (2) के तहत किए गए आवेदन पर जांच शुरू कर सकता है । जब रजिस्ट्रार ने स्वयं निरीक्षण नहीं किया है या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया है, लेकिन शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच शुरू की है, तो अपनी इच्छा से की गई जांच को एकीकृत और बाद में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। रजिस्ट्रार अनुलग्नक पी–20 दिनांक 28.06.2007 के आदेश से पता चलता है कि जांच कुछ सदस्यों द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर अधिनियम की धारा 32(2) के तहत शुरू की गई थी। इसलिए रजिस्ट्रार ने स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच शुरू नहीं

की है। यदि धारा 32 की उपधारा (1) के अंतर्गत जांच शुरू की गई होती तो यह कहा जा सकता था कि यह स्वप्रेरणा से की गई है। यदि ऐसी समरूपता स्वीकार कर ली जाती है तो धारा 32 की उपधारा (2) जो कि विधि–पुस्तक में विद्यमान है, अपना अधिदेश खो देगी। धारा 32(1) के सरल अर्थ में, जांच स्वप्रेरणा से शुरू करने का अर्थ यह होगा कि जांच रजिस्ट्रार की अपनी इच्छा से शुरू की गई है, न कि किसी शिकायत के आधार पर । इन परिस्थितियों में इस न्यायालय का मत है कि उपधारा (2) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने को बाद में अधिनियम, 1973 की धारा 32 की उपधारा (1) के अंतर्गत होने के रूप में छिपाने के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और ऐसी शिकायत को धारा 32(2) में लगाए गए परीक्षण और अवरोध को पार करना होगा। परिणामस्वरूप, जांच की शुरूआत ही कानून की दृष्टि से गलत थी क्योंकि यह परीक्षण में खरा नहीं उतरी और वैधानिक अधिदेश की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि रजिस्ट्रार ने शिकायत के आधार पर जांच करने का निर्णय लिया तथा निरीक्षक नियुक्त किया गया, जिसने 28.05.2007 को अनुलग्नक पी–18 द्वारा अपनी रिपोर्ट दी। जांच पूरी होने के बाद, जांच के परिणामस्वरूप 10 बिंदुओं को सुलझाया गया तथा सदस्यता की सूची के संबंध में अधिनियम 1973 की धारा 16(3) के विरुद्ध अनुमान लगाया गया। जांच रिपोर्ट के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने अनुलग्नक पी–19 द्वारा अपना जवाब दाखिल किया तथा खंड 4 व 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि

शिकायतकर्ता वर्ष 2000 तक कार्यकारी निकाय में थे तथा बैंक पास बुक के संबंध में यदि कोई अनियमितताएं हैं, तो वे उनकी अवधि से संबंधित हैं, जवाब प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ताओं ने रसीद बुक के बारे में दस्तावेज याचिकाकर्ता–सोसायटी को नहीं सौंपा है। इसके बाद रजिस्ट्रार ने धारा 32 की उपधारा (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच के परिणाम की सूचना दी और 28.06.2007 को निर्देश जारी किया, जिसे अनुलग्नक पी–20 के रूप में दाखिल किया गया है। धारा 32 की उपधारा (4) की आवश्यकता के अनुसार, जांच के परिणाम को शब्दशः प्रस्तुत किया गया और रजिस्ट्रार द्वारा निर्देश जारी किया गया, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> दिनांक 27/6/07 का उसने स्पष्टीकरण में समिति द्वारा पूर्व कार्यकारिणी द्वारा रिकार्ड जानकारी दिये जाने का उल्लेख कर उनसे ही स्पष्टीकरण लिये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति की पंजीकृत विधानानुसार उक्त कार्यवाही हेतु संस्था की कार्यकारिणी स्वयं सक्षम है। अतः इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। कंडिका 3 मे उल्लेखित राशि पंजीकृत नियमावली में निर्धारित राशि के अनुरूप सभी सदस्यो से लिया गया है अथवा नहीं यह भी सुनिश्चित किया जावे।

उक्त के अलावा निर्वाचन दिनांक 21/12/02 से 3 वर्ष के पश्चात् वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में इसकी स्वीकारोक्ति संस्था द्वारा किया गया है।

अतएव संस्था उपरोक्त दर्शित त्रुटियों की पूर्ति करते हुए वैध सदस्यो के मध्य 45 दिवस के भीतर निर्वाचन संपन्न करावे।

सही/–
संजीव बख्शी
रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्देश को पढ़ने से पता चलता है कि रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता के दिनांक 27.06.2007 के उत्तर का जवाब दिया और इस तथ्य को दोहराया कि रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी तत्कालीन कार्यकारी समिति से प्राप्त की जानी चाहिए । इसमें आगे यह भी दर्ज किया गया है कि उपनियमों के अनुसार, इसे निपटाने के लिए सोसायटी का कार्यकारी निकाय स्वयं सक्षम है । इसलिए विचाराधीन कार्यवाही उपनियमों के अनुसार की जानी चाहिए । इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि सोसायटी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि, सदस्यों ने सोसायटी के उपनियमों के अनुसार दान दिया है या नहीं । इसमें यह भी दर्ज है कि दिनांक 21.12.2002 के बाद 3 वर्ष बीत जाने के बाद कार्यकारी निकाय का

कार्यकाल समाप्त हो गया है । इसके बाद निर्देश दिया गया कि जांच में बताए गए बिंदुओं के सुधार के बाद 45 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव कराए जायें।

32. रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए निर्देश से पता चलता है कि उसने जांच के परिणाम की जानकारी दी और कुछ अवलोकन/निर्देश जारी करना उचित समझा, लेकिन चुनाव को छोड़कर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे वैध सदस्यों के बीच आयोजित किया जाना था। चूंकि विधानमंडल ने "उप–धारा (4) के तहत सोसायटी को उचित निर्देश जारी कर सकता है" शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए निर्देश को पढ़ने से पता चलता है कि यह एक सक्षम प्रावधान है जिसके तहत उचित निर्देश जारी किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 32(4) से संबंधित रजिस्ट्रार की इस शक्ति पर **सेंट्रल होम्योपैथिक एवं बायोकेमिक एसोसिएशन, ग्वालियर 2013 (2) एमपीएलजे 419** में दर्ज केस लॉ में विचार किया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग अर्थात पैरा 11 इस प्रकार है:

> "उपर्युक्त प्रावधान रजिस्ट्रार की किसी सोसायटी के गठन, कामकाज और वित्तीय स्थिति के बारे में जांच करने की शक्ति से संबंधित है। इस जांच के उद्देश्य से, वह उप–धारा (3) में उल्लिखित कुछ शक्तियों से सुसज्जित है। उसे सोसायटी की पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, संपत्तियों और अन्य प्रासंगिक सामग्री तक मुफ्त पहुंच है, वह किसी भी व्यक्ति को बुला सकता

है जिसके कब्जे या हिरासत में उपरोक्त दस्तावेज हैं। वह किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह सोसायटी के मामलों के बारे में जानता है। वह शपथ पर ऐसे व्यक्ति की जांच कर सकता है। इस प्रकार जांच के उद्देश्य के लिए विभिन्न शक्तियां रजिस्ट्रार को उपरोक्त प्रावधान के तहत दी गई हैं। उपधारा (4) को दिनांक 04–09–1998 को संशोधित किया गया है। उप–धारा (4) का पहला भाग रजिस्ट्रार की ओर से सोसायटी को जांच के परिणाम को संप्रेषित करना अनिवार्य बनाता है। उपधारा (4) के प्रथम भाग में "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे भाग में रजिस्ट्रार को सोसायटी को उचित निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से विधानमंडल ने "कर सकता है" शब्द का प्रयोग करना चुना है। उपधारा (4) को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि रजिस्ट्रार के लिए सोसायटी को जांच के परिणाम की जानकारी देना अनिवार्य है। हालांकि रजिस्ट्रार के लिए सोसायटी को कोई उचित निर्देश देना हमेशा आवश्यक या अनिवार्य नहीं होता है। सोसायटी को उचित निर्देश देने के लिए रजिस्ट्रार के पास विवेकाधिकार का तत्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि जांच का परिणाम सोसायटी के पक्ष में है और उस पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है या कोई उचित निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, तो रजिस्ट्रार ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है। हालांकि यदि जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई प्रतिकूल आदेश, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दोषों को ठीक करने आदि का काम किया जाना है, तो रजिस्ट्रार को उचित निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई है। इस उद्देश्य के लिए विधानमंडल ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि "सोसायटी को उचित निर्देश जारी कर सकता है"। इस प्रकार उप–धारा (4) का पहला भाग अनिवार्य है, जिसमें रजिस्ट्रार जांच के परिणाम को संप्रेषित करने के लिए बाध्य है, जबकि दूसरा भाग एक सक्षम प्रावधान है, जिसमें रजिस्ट्रार, यदि आवश्यक हो और जैसा भी मामला हो, सोसायटी को उचित निर्देश जारी कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. इस मामले में रजिस्ट्रार ने 26.8.2007 को निर्देश जारी किया था, जिससे पता चलता है कि सोसायटी को स्वयं सदस्यता की वैधता तय करने के लिए अपने रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए कहा गया था। सोसायटी ने हालांकि इस तरह के निर्देश के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन बाद में आदेश का पालन करने का फैसला किया और तदनुसार 18.11.2007 को सामान्य निकाय की बैठक अनुलग्नक पी–6 के अनुसार आयोजित की गई। 18.11.2007 की सामान्य

निकाय की बैठक के प्रस्ताव को पढ़ना इस शब्द से शुरू होता है कि कोरम पूरा होने के बाद बैठक शुरू हुई। बैठक आयोजित करने के लिए 24 सदस्यों ने भाग लिया। उप–नियमों के अनुसार, खंड 8, बैठक आयोजित करने के लिए कोरम 1/3 होना चाहिए और जैसा कि पहले माना गया है कि 69–70 वैध सदस्य थे, 24 सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूरा करने के लिए 1/3 से मिल जाएगी। ऐसी बैठक में सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

> ''आज की सामान्य सभा में उपस्थित सभी सदस्य इस बात से आश्वस्त हैं कि वर्तमान में एम.एम.आई. सोसाइटी में कुल वैध सदस्यों की संख्या (सत्तर–seventy) है । इन सभी सदस्यों ने पूर्व में संस्था के संविधान/ज्ञापन एवं नियमावली; (Memorendom of Association) में निर्धारित दान की राशि निर्धारित अवधि में एम.एम.आई. को दानस्वरूप दी है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. इसलिए आम सभा ने यह तय किया कि 70 वैध सदस्य हैं। धारा 32 की उपधारा (4) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 28.06.2007 को दिए गए निर्देश में यह निष्कर्ष दर्ज है कि कार्यकारी निकाय जिसे सदस्यों की सदस्यता की वैधता तय करनी थी, अब अस्तित्व में नहीं है। इन परिस्थितियों में, आम सभा के पास सदस्यों की वैधता तय करने के लिए बैठक आयोजित करने का एकमात्र विकल्प था। **सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज** में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 6415 में रिपोर्ट की;

डॉ. शिखर जैन बनाम नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम 2016 एससीसी ऑनलाइन, दिल्ली 2300 और **पी.एन. प्रेम कुमार बनाम श्री नारायणन भक्त परिपालन योगम** 2018 एससीसी ऑनलाइन केरल 493 में यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि सोसायटी की आम सभा सर्वोच्च है और यदि आम सभा ने कोई सचेत निर्णय लिया है तो यह सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा। आम सभा यानी निजी सोसायटी के संबंध में, बाहरी एजेंसी या कोई भी सदस्य उस पर सवाल नहीं उठा सकता है, इसलिए, उसने सभी सदस्यों को वैध सदस्य होने के लिए मंजूरी दे दी है। आम सभा की बैठक में सदस्यों के सत्यापन के बाद, सोसायटी द्वारा नए चुनाव आयोजित किए गए। याचिका के पैरा 36 के अनुसार, जिसका खंडन रिटर्न में नहीं किया गया है, कार्यकारिणी के लिए चुनाव दिनांक 03.02.2008 को हुआ था और डॉ. हरक जैन, प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वयं अन्य सदस्यों के साथ उक्त चुनाव में भाग लिया था। दलील यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने केवल कुछ सदस्यों को उपलब्ध कराए गए डाक मतपत्र के संबंध में आपत्ति उठाई थी। इसके जवाब में, प्रतिवादी संख्या 3 ने कहा है कि चुनाव में भागीदारी किसी सदस्य को सोसायटी के अवैध और असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं रोकेगी। इसलिए, यह दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 18.11.2007 के सामान्य निकाय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ऐसा करने के बाद, सदस्यों की बाद की वैधता पर उनके द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. इस याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज से पता चलता है कि प्रारंभ में 26.12.2007 के आदेश के खिलाफ, जिसके तहत सदस्यों को सदस्यता में शामिल किया गया था, राज्य सरकार के समक्ष हरक जैन, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत अपील में चुनौती दी गई थी। उक्त अपील का निर्णय 03.10.2008 (अनुलग्नक पी–9) को विशेष सचिव राज्य सरकार द्वारा यह मानते हुए किया गया था कि 26.12.2007 के आदेश के तहत सदस्यों को शामिल किया गया था, जो वैध सदस्य थे। यह माना गया कि जो व्यक्ति सोसायटी चला रहे थे यानी शिकायतकर्ता खुद कार्यकारी निकाय का हिस्सा थे और सोसायटी ने अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अनुपालन में सदस्यों के नामों की सूची भेजी थी, इसलिए सदस्यों को सोसायटी की सदस्यता से नहीं हटाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. उक्त आदेश को डब्ल्यूपीसी संख्या 6292/2008 में चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2013 को (अनुलग्नक पी–10) रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और विशेष सचिव के दिनांक 03.10.2008 के आदेश को रद्द कर दिया था। दिनांक 03.04.2013 के उक्त आदेश को डब्ल्यू.ए. संख्या 264/2013 में चुनौती दी गई थी और डिवीजन बेंच ने दिनांक 28.3.2019 के आदेश (अनुलग्नक पी–11) द्वारा एकल बेंच के आदेश की पुष्टि की थी।

38. इसी प्रकार, उसके बाद डिवीजन बेंच ने अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत अपीलीय फोरम द्वारा निर्णय के लिए आदेश दिया, रजिस्ट्रार ने सोसायटी के उपनियमों में संशोधन के लिए प्रतिवादी संख्या 3 हरक जैन की अपील पर 02.08.2019 (अनुलग्नक पी–12) को आदेश पारित किया, अपील को अनुमति दी और संशोधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उप–नियमों में संशोधन को रद्द करने के उक्त आदेश को WP(C) संख्या 1055/2020 में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 30.06.2020 के आदेश (अनुलग्नक पी–13) द्वारा देखा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने विशेष सचिव द्वारा 03.10.2008 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है और अपील पर निर्णय लेने के लिए मामला राज्य सरकार को वापस भेज दिया है, लेकिन उक्त अपील वास्तव में तय नहीं हुई है और अभी भी विशेष सचिव के समक्ष विचाराधीन है और इस बीच, प्रतिवादी संख्या 3, हरक जैन ने रजिस्ट्रार से संपर्क करके सदस्यों के संविधान में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया और उसके बाद मामला सहायक रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया और सहायक रजिस्ट्रार ने उसके बाद 02.08.2019 को इसका फैसला किया और रजिस्ट्रार ने शक्ति का प्रयोग करते हुए 26.12.2007 को उसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संशोधन को रद्द कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. सुविधा के लिए, आदेश का प्रासंगिक भाग, जैसा कि पूर्वोक्त पैरा में चर्चा की गई है, डब्ल्यूपीसी संख्या 1055/2020 के पैरा 7, 8, 9 और 14 में पारित किया गया है, नीचे उद्धृत किया गया है:

"7. दिनांक 03.04.2013 को उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है कि, उच्च न्यायालय ने विशेष सचिव द्वारा 03.10.2008 को पारित आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को राज्य सरकार को तीन महीने की अवधि के भीतर अपील पर निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अपील पर आज तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही उस पर कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई निर्णय लिया गया, इसलिए यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विशेष सचिव यानी छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष विचाराधीन है। इस बीच, प्रतिवादी क्रमांक 3 ने रजिस्ट्रार के समक्ष वर्ष 2007 में संविधान में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया है, जिन्होंने मामले को निर्णय के लिए सहायक रजिस्ट्रार को भेज दिया था। इसके बाद सहायक रजिस्ट्रार ने 02.08.2019 को मामले का फैसला किया (अनुलग्नक पी–13) रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया, जिसे शुरू में उसी प्राधिकरण ने 26.12.2007 के आदेश के तहत मंजूरी दी थी। इस प्रकार ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राधिकरण ने अपने ही आदेश को रद्द कर दिया है, जो अन्यथा कानून के तहत स्वीकार्य नहीं होता।

8. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार ने विशेष सचिव के समक्ष लंबित अपील पर कोई निर्णय लिया है, क्योंकि बार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त अपील एक पूरी तरह से अलग कार्यवाही है जो अभी भी लंबित है। रजिस्ट्रार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और विशेष सचिव के पास विचाराधीन पिछली अपील के बावजूद पूरी तरह से नई कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा वापस उनके पास भेज दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित निर्विवाद तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि रजिस्ट्रार और विशेष प्राधिकरण द्वारा पारित दो आदेश कार्यवाही में हैं, जिन्हें उस समय पूरी तरह से नए सिरे से तैयार किया गया है जब उच्च न्यायालय ने स्वयं अपने आदेश दिनांक 03.04.2013 के तहत प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। चूंकि मामला उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया वापस भेज दिया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 3 की अपील तब से प्राधिकारियों के समक्ष लंबित थी, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा नए सिरे से

रजिस्ट्रार के पास जाने की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित थी। रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पर विचार करना तथा उस पर निर्णय देना, जिसकी पुष्टि विशेष सचिव द्वारा भी की गई है, कानून के प्रावधानों, विशेषकर 1973 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्याय निर्णय तंत्र के विपरीत है। याचिकाकर्ता को एक ओर अपील को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो विशेष सचिव के समक्ष लंबित है और साथ ही रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष नई कार्यवाही शुरू करने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 इस न्यायालय द्वारा आज पारित आदेश से किसी भी तरह प्रभावित हुए बिना लंबित अपील पर निर्णय लेगा, वह उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही अपील पर निर्णय लेगा।"

40. इसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया। चूंकि अपील पर सुनवाई का निर्देश दिया गया था, इसलिए संयुक्त सचिव के समक्ष सुनवाई शुरू हुई। कुछ सदस्यों ने तत्काल सुनवाई

के लिए आवेदन के साथ अपना अभियोग आवेदन दायर किया। इसे डब्ल्यूपीसी संख्या 1835/2020 में अनुलग्नक पी–23 के रूप में दाखिल किया गया है। उक्त आवेदन 13.07.2020 को दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन में लिखा गया था कि मुख्य अपील 16.07.2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए जिन सदस्यों ने अपना अभियोग आवेदन दाखिल किया था, उनमें रवि अग्रवाल और 14 अन्य को अभियोग में लिया जाए और उनकी सुनवाई की जाए। संयुक्त सचिव ने सुनवाई की तिथि निर्धारित होने से पहले दिनांक 15.07.2020 के अपने आदेश द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 1835/2020 में दाखिल अनुलग्नक पी–24 के तहत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सदस्य कभी भी कार्यवाही में पक्ष नहीं थे, ऐसे में अपील में उनकी सुनवाई नहीं की जा सकती। इसे डब्ल्यूपीसी संख्या 1835/2020 में अनुलग्नक पी–23 के रूप में दाखिल किया गया है। उक्त आवेदन दिनांक 13.07.2020 को दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन में लिखा गया था कि मुख्य अपील दिनांक 16.07.2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए जिन सदस्यों ने अपना अभियोग आवेदन दाखिल किया था, यानी रवि अग्रवाल और 14 अन्य को अभियोग में लिया जाए और उनकी सुनवाई की जाए। संयुक्त सचिव ने सुनवाई की तिथि निर्धारित होने से पहले दिनांक 15.07.2020 के अपने आदेश द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 1835/2020 में दाखिल अनुलग्नक पी–24 के तहत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सदस्य कभी भी कार्यवाही में पक्ष नहीं थे, ऐसे में अपील में उनकी सुनवाई नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की जा सकती। यह स्पष्ट है कि चूंकि उक्त आवेदन को खारिज करने से पहले सुनवाई की तारीख तय की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता संयुक्त सचिव के समक्ष उपस्थित नहीं थे क्योंकि मामला 16.07.2020 के लिए तय किया गया था। इसलिए, आवेदन को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर करने वाले पक्षों की अनुपस्थिति में पहले से सुनवाई के साथ खारिज कर दिया गया।

41. 41. डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1835/2020 में अनुलग्नक पी–24 के रूप में दायर उक्त आदेश निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4–08/2019/11/6(पार्ट–2) नवा रायपुर, दिनांक 15/07/2020

प्रति,

डॉ. हरक जैन, गांधी चौक, रायपुर (छ.ग) अपीलार्थी

विरूद्ध

1.पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाए छ.ग.,इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग)

2.अध्यक्ष, माडर्न इंस्टीट्यूट, लालपुर, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग)

उत्तरवादीगण

विषय–प्रकरण में नवीन पक्षकार बनाये जाने हेतु 15 आवेदन क्रमशः 1. श्री रवि अग्रवाल, 2. श्री विरेन्द्र गोयल, 3. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, 4. श्री. चतुर्भज अग्रवाल, 5. श्री महेश कुमार अग्रवाल, 6. श्री विजय चंद बोथरा, 7. श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, 8.श्री श्याम सुंदर जैन, 9. श्री नवल किशोर अग्रवाल, 10. श्री सदाराम अग्रवाल, 11. श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 12. श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल, 13. श्री विपिन मिरानी,14. श्री बाबू भाई पटेल, 15. श्री राकेश कुमार लोढ़ा, (सभी निवासी जिला रायपुर)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

———————

संस्था ''माडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसायटी'' लालपुर, जिला–रायपुर (छ.ग) पंजीयन क्रमांक 21530, दिनांक 27–02–1989 द्वारा पंजीकृत संस्था है, जिस पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

प्रकरण में दिनांक 13.07.2020 को विषयांकित व्यक्तियों के द्वारा प्रकरण के सुनवाई में सभी को **उत्तरवादी पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन व परीक्षण निम्नानुसार स्थिति पायी गयी है:–**

1) यह कि विचाराधीन अपील प्रकरण में वर्ष 2008 से सुनवाई प्रचलन में रही है। जिसमें आवेदकगण कभी भी पक्षकार के रूप में शामिल नहीं रहे है।

2) यह कि विषयांकित व्यक्तियों द्वारा अपील प्रकरण में नया प्रति पक्षकार बनाये हेतु आवेदन किया गया है जबकि प्रचलित प्रकरण छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1973 की धारा 40 के अंतर्गत पंजीयक के आदेश क्रं. शिका. 354/1686/2007 दिनांक 26.12.2007 के विरूद्ध डॉ. हरक जैन द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 21.01.2008 के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं. W.P.(C) No. 6292/2008 तथा W.A. No. 264/2013 एवं W.P.(C) No. 1055/2020 में प्राप्त निर्देशों के परिपालन में प्रचलन में है। विचाराधीन अपील प्रकरण में आवेदकगण कभी पक्षकार के रूप में शामिल नहीं रहे है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) यह कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरण क्रं. W.P.(C) No. 1055/2020 में पक्षकार के रूप में श्री रामअवतार अग्रवाल सचिव, ''माडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसायटी'' लालपुर, जिला–रायपुर पिटीशनर एवं उत्तरवादी छततीसगढ़ शासन द्वारा सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं अन्य पक्षकार है,W.P.(C) No. 6292/2008 में डॉ. हरक जैन विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन तथा अन्य रिट अपील W.A. No. 264/2013 में अपीलार्थी ''माडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट सोसायटी'' लालपुर, जिला–रायपुर विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य रहे है। यह कि सभी आवेदकगण कभी भी

उपरोक्त दर्शित न्यायालयीन प्रकरणों में न तो वादी के रूप में और न ही उत्तरवादी के रूप में पक्षकार रहें है।

4) यह कि आवेदको के द्वारा स्वयं को व्यक्तिगत रूप से पृथक–पृथक पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो उपरोक्त दर्शित न्यायालयीन प्रकरण के संदर्भ में तथा शासन के समक्ष उभय पक्ष अर्थात् डॉ. हरक जैन एवं श्री सुरेश गोयल तथा श्री रामअवतार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संस्था के संदर्भ प्रस्तुत विभिन्न अपील प्रकरणों में कभी भी पक्षकार नहीं रहे है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगणों द्वारा दिनांक 13.07.2020 को प्रस्तुत उत्तरवादी के रूप में नवीन पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त कर निराकृत किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–
(अनुराग पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

42. इसी प्रकार, सोसायटी ने संयुक्त सचिव द्वारा अपील की सुनवाई पर आपत्ति दर्ज की क्योंकि इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग को डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1055/2020 में अपील की सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था। संयुक्त सचिव ने दिनांक 15.07.2020 के अपने आदेश द्वारा माना कि संयुक्त सचिव को अपील की सुनवाई करने के लिए

नियुक्त किया गया है और आपत्ति को खारिज कर दिया। 15.07.2020 को पारित उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग W.P(C) में अनुलग्नक P–24 के रूप में दायर किया गया है। 2020 की संख्या 1721 इस प्रकार है:

प्रकरण में उत्तरवादी क्रं 02 की ओर से प्रस्तुत आवेदन का एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उत्तर का अवलोकन किया गया। जिसमें आवेदक द्वारा प्रकरण में सुनवाई की प्रक्रिया संयुक्त सचिव के क्षेत्राधिकार नहीं होने का दर्शित कारण निम्न आधार पर पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1) यह कि संदर्भित अपील प्रकरण छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1973 की धारा 40 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिस पर सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारण का अधिकार शासन के विभाग के भारसाधक सचिव को समस्त अधिकार प्रदत्त होता है।

2) यह कि प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभाग के भारसाधक सचिव की ओर से पीठासीन अधिकारी सुनवाई हेतु अधिकृत किये गये है। प्रकरण में अंतिम निर्णय प्रमुख सचिव द्वारा किया जावेगा।

3) यह कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरण क्रं. डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1055/2020 में उत्तरवादी क्रमांक 1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ही पक्षकार है।

4) अतः भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रकरण की सुनवाई हेतु अधिकृत किया गया है।

5) उत्तरवादी क्रं. 2 के आवेदन पर ही पूर्व में भी अपीलीय पीठासीन अधिकारी विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को परिवर्तित कर उनके स्थान पर संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अधिकृत किया गया है। अतः प्रकरण में अपीलीय अधिकारी बार–बार परिवर्तन किये जाने का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) यह कि आवेदन में संस्था के सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा उनका पक्ष प्रभावित होने का कथन किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में की जा रही है। संस्था के अध्यक्ष सचिव के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य उपरोक्त प्रकरणों में पक्षकार नहीं रहे है, इसलिए उनका पक्षकार बनाये जाने का कथन ग्राह्य योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उत्तरवादी क्रं. 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के विषय स्वीकृत योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त कर निराकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–
(अनुराग पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

43. इसके बाद सचिव द्वारा आपत्तिजनक आदेश अनुलग्नक पी–1 पारित किया गया है। इस बात पर पक्षकारों द्वारा विवाद नहीं किया गया है कि अंतिम दलीलें संयुक्त सचिव द्वारा सुनी गई थीं, हालांकि, आदेश प्रमुख सचिव द्वारा पारित किया गया था। राज्य ने तर्क दिया है कि अधिनियम 1973 की धारा 40 के अनुसार अपील राज्य सरकार के पास होगी और भले ही मामले की सुनवाई संयुक्त सचिव द्वारा की गई हो और आदेश प्रधान सचिव द्वारा पारित किए गए हों, यह संवैधानिक सुनवाई के क्षेत्र में आएगा। राज्य सामान्य धारा अधिनियम का संदर्भ देते हुए, यह तर्क दिया गया कि धारा 3 की उपधारा (60) राज्य सरकार को परिभाषित करती है और सामान्य धारा अधिनियम के अनुसार, इसलिए, राज्य अपने विवेक से अपील सुन सकता है और यह एक संस्थागत सुनवाई होगी। इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 443/2012 (ओम प्रकाश अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में पारित दिनांक 15.05.2015 के निर्णय का संदर्भ दिया गया है और प्रस्तुत किया गया है कि प्राकृतिक न्याय की विषय–वस्तु जांच की प्रकृति, कार्यवाही के उद्देश्य और इस बात पर निर्भर करती है कि क्या शामिल निर्णय एक "संस्थागत निर्णय" है या इसे करने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा लिया गया है। यह भी कहा गया है कि संस्थागत निर्णय के मामले में केवल इसलिए कि याचिका की सुनवाई करने वाले अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी ने आदेश पारित किया है, निर्णय को अवैध या दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय की सुविचारित राय के अनुसार, राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क गलत है क्योंकि संयुक्त सचिव ने 1973 के अधिनियम की धारा 40 के तहत वैधानिक अपील की सुनवाई की थी।

44. यह सिद्धांत कि 'निर्णय लेने वाले को अवश्य सुनना चाहिए' इस कारण से मान्यता प्राप्त है कि पक्षपात और अज्ञानता दोनों ही मामले के गुण–दोष पर निष्पक्ष निर्णय को रोकते हैं। संस्थागत निर्णयों में कमियाँ अनिवार्य रूप से "निर्णय लेने वाले को अवश्य सुनना चाहिए" नियम को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के उच्चतर मानक पर रखती हैं। बेशक अपील की सुनवाई संयुक्त सचिव द्वारा की गई थी, हालाँकि आदेश प्रधान सचिव द्वारा पारित किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जहाँ अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत वैधानिक अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया गया था, इसे प्रतिनिधि निर्णय या सरकारी विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के समान नहीं रखा जा सकता है। यह मानना मुश्किल है कि वैधानिक अपील का उद्देश्य उस अधिकारी द्वारा आदेश पारित करके प्राप्त किया जाएगा जिसने पक्षों को नहीं सुना, हालाँकि विवेक का प्रयोग स्पष्ट हो सकता है। विवेक के प्रयोग की दृश्यता स्व–प्रयास के परिणामस्वरूप हो सकती है। पीड़ित की सुनवाई के बाद वास्तविक मुद्दे को समझे बिना यह एक निरर्थक अभ्यास हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि वैधानिक अपील का उद्देश्य यह नहीं है तथा आदेश से यह उद्देश्य स्पष्ट है जो कि न्यायालय का सदैव चिंता का विषय रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. जब अपीलीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो उस अधिनियम की केंद्रीयता को ध्यान में रखना चाहिए जिसके तहत इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी अन्य प्रयास गलत तरीके से किया जाने वाला प्रयोग होगा और दशकों के सामूहिक व्यक्तिगत अनुष्ठानों के विरुद्ध होगा। ए.के. क्राइपक और अन्य बनाम भारत संघ एआईआर 1970 एससी 150: 1969 (2) एससीसी 262 में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि प्रशासनिक शक्ति और अर्ध न्यायिक शक्ति के बीच की विभाजन रेखा काफी पतली है और धीरे–धीरे मिटती जा रही है। उक्त निर्णय का पैरा 13 प्रासंगिक है और नीचे उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. प्रशासनिक शक्ति और अर्ध–न्यायिक शक्ति के बीच की विभाजक रेखा बहुत पतली है और धीरे–धीरे मिटती जा रही है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई शक्ति प्रशासनिक शक्ति है या अर्ध–न्यायिक शक्ति, किसी को दी गई शक्ति की प्रकृति, जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को यह शक्ति दी गई है, उस शक्ति को प्रदान करने वाले कानून का ढांचा, उस शक्ति के प्रयोग से होने वाले परिणाम और जिस तरीके से उस शक्ति का प्रयोग किए जाने की अपेक्षा की जाती है, इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। हमारे संविधान के तहत कानून का शासन प्रशासन के पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। हमारे संविधान के तहत राज्य का हर अंग कानून के शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित है। हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में यह अपरिहार्य है कि प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा

है। यदि राज्य के साधनों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करने का दायित्व नहीं सौंपा जाता है, तो कानून के शासन की अवधारणा अपनी सार्थकता खो देगी। न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता का सार यह है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कार्य किया जाए, न कि मनमाने ढंग से या मनमानी तरीके से। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में निहित मानी जाने वाली प्रक्रियाएँ केवल वे हैं जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय को सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। हाल के वर्षों में अर्ध न्यायिक शक्ति की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कुछ वर्ष पहले जिसे प्रशासनिक शक्ति माना जाता था, उसे अब अर्ध न्यायिक शक्ति माना जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. **जेफ्स बनाम न्यूजीलैंड डायरी प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग बोर्ड, (1967) 1 एसी 551** में प्रिवी काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया कि अर्ध न्यायिक कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। साक्ष्य सुनने और प्राप्त करने तथा साक्ष्य के बारे में निर्णयकर्ता को सूचित करने के लिए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है तथा केवल खाली औपचारिकताएँ स्वीकार्य नहीं हैं।

47. **सेंट्रल होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक एसोसिएशन, ग्वालियर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2013(2) एम.पी.एल.जे. 419** में न्यायालय ने प्रशासनिक निर्णय और अर्ध–न्यायिक शक्तियों के बीच अंतर किया है और आगे कहा है कि

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य से अर्ध–न्यायिक और प्रशासनिक कार्य के बीच कोई अंतर नहीं है। पैरा 16 और 17 प्रासंगिक हैं और नीचे उद्धृत किए गए हैं:

> 16. धारा 32 के तहत रजिस्ट्रार को दी गई शक्तियों की प्रकृति से पता चलता है कि वह प्रासंगिक दस्तावेज तलब कर सकता है, शपथ पर साक्ष्य दर्ज कर सकता है और इसलिए शक्तियों की यह प्रकृति पूरी तरह से प्रशासनिक प्रकृति की नहीं है। खासकर तब जब उसे सोसायटी को उचित निर्देश जारी करके जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है। इस तरह की कार्रवाई, जो समाज या किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, एक अर्ध न्यायिक शक्ति है। "अर्ध" शब्द का शब्दकोश अर्थ "बिल्कुल नहीं" है। "प्रशासनिक कानून के सिद्धांत" (एम.पी. जैन और एस.एन. जैन द्वारा) (न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह और आलोक आराधे, अधिवक्ता द्वारा संशोधित – जैसा कि उनके लॉर्डशिप तब थे) (पृष्ठ 37, 5 वां संस्करण), यह राय है कि एक अर्ध न्यायिक कार्य न्यायिक और प्रशासनिक कार्य के बीच में है।
>
> 17. रिज बनाम बाल्डविन, 1964 में यह माना गया कि न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति से उत्पन्न हो सकता है। रिज (सुप्रा) अनुपात को मेनका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248 के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। सुखलाल सेन बनाम कलेक्टर, जिला सतना एवं अन्य, 1969 एमपीएलजे 516 में इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह राय व्यक्त की कि यह निर्धारित करने का कर्तव्य कि क्या लाइसेंसधारी ने अपने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है और क्या इस कारण से लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, प्राधिकरण पर न्यायिक रूप से कार्य करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का कर्तव्य लागू करता है। सुखलाल सेन बनाम कलेक्टर, जिला सतना एवं अन्य, 1969 एमपीएलजे 516 में न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह ने खंडपीठ की ओर से बोलते हुए निम्न प्रकार से निर्णय दिया:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5.....रिज बनाम बाल्डविन ने स्थापित किया है कि किसी कर्तव्य की न्यायिक प्रकृति का अनुमान कर्तव्य की प्रकृति से ही लगाया जा सकता है और विधानमंडल द्वारा किसी भी स्पष्ट भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें उस निकाय से न्यायिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिस पर कर्तव्य लगाया गया है; न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य

यह निर्धारित करने के कर्तव्य में निहित होगा कि किसी व्यक्ति के अधिकार क्या होने चाहिए।"

48. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने **ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकरण और अन्य 2011 एससीडब्लू 818** न्यायालय ने कहा कि जब कानून प्राधिकरण को निर्णय लेने का अधिकार देता है तो प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करना होता है और प्राधिकरण का निर्णय एक अर्ध–न्यायिक कार्य होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई शक्ति प्रशासनिक शक्ति है या अर्ध–न्यायिक शक्ति, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: (i) प्रदान की गई शक्ति की प्रकृति; (ii) वह व्यक्ति या व्यक्ति जिन्हें यह प्रदान की गई है; (iii) उस शक्ति को प्रदान करने वाले कानून का ढांचा; (iv) उस शक्ति के प्रयोग से होने वाले परिणाम; और (v) जिस तरीके से उस शक्ति का प्रयोग किए जाने की उम्मीद है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान (2002) 5 एससीसी 685** ने माना है कि वैधानिक प्राधिकरण एक अर्ध न्यायिक अधिनियम होगा और कानूनी सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"24. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि किसी वैधानिक प्राधिकरण का कार्य कब अर्ध न्यायिक कार्य होगा, तथा इसके लिए कानूनी सिद्धांत निम्न हैं:

जहां (क) एक वैधानिक प्राधिकरण को किसी अधिनियम के तहत कोई कार्य करने का अधिकार है (ख) जो विषय पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा (ग) यद्यपि कोई विवाद करने वाले पक्ष या दो पक्ष नहीं हैं और विवाद प्राधिकरण और विषय के बीच है और (घ) वैधानिक प्राधिकरण को अधिनियम के तहत न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, उक्त प्राधिकरण का निर्णय अर्ध न्यायिक है।

50. इसलिए जब वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष विवाद करने वाले पक्षों के बीच विषय–वस्तु की सूची लंबित हो, तो यह 1973 के अधिनियम के तहत एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होगा। अधिनियम, 1973 की धारा 40 राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली अपीलीय शक्ति से संबंधित है, जिसे पक्षों के बीच एक सूची तय करनी होती है। इसलिए, यह कहना संस्थागत सुनवाई के बराबर नहीं हो सकता है कि एक प्राधिकरण सुनवाई कर सकता है और दूसरा प्राधिकरण निर्णय पारित कर सकता है, क्योंकि धारा 40 में "राज्य" शब्द का उपयोग किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. संस्थागत सुनवाई के संबंध में यह न्यायालय निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप है लेखक द्वारा नीचे और संस्थागत सुनवाई के बारे में इसकी पुष्टि का समर्थन किया गया है अर्ध न्यायिक सुनवाई. एम.पी. जैन, एस.एन. जैन तथा न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह एवं न्यायमूर्ति आलोक अराधे द्वारा लिखित **प्रशासनिक कानून के सिद्धांत 2007 पांचवें संस्करण** में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं:

"न्यायिक और संस्थागत निर्णयों के बीच एक और अंतर है, अर्थात, नियमित विभागीय प्रक्रिया, फ़ाइल पर नोटिंग, आदि, अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले विभिन्न अधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से चलते रहते हैं और यह कुछ हद तक, पहले चर्चा किए गए नियम से समझौता भी कर सकता है, कि किसी व्यक्ति के खिलाफ़ किसी भी सामग्री का इस्तेमाल उसे खंडन करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित फ़ाइल पर व्यक्त की गई अधिकांश नोटिंग और विचार, जैसे–जैसे यह विभाग के भीतर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाता है, तब तक यह उस चरण तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ औपचारिक रूप से अंतिम निर्णय लिया जाता है, प्रभावित व्यक्ति के ध्यान में कभी नहीं आ सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहां किसी विशिष्ट अधिकारी को न्यायिक शक्ति प्रदान की जाती है, वहां उसे, और केवल उसे ही, अंतिम निर्णय लेना चाहिए (कृपया देवी दत्त बनाम भारत संघ एआईआर 1985 डेल.195 देखें)। दूसरी ओर, किसी विभाग द्वारा लिया गया निर्णय, किसी नामित अधिकारी, निकाय या न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय से भिन्न होता है, जो विशेष रूप से न्यायिक निर्णय के लिए बनाया गया है, क्योंकि बाद के मामले में, विवेक

का प्रयोग और लिया गया दृष्टिकोण निर्दिष्ट प्राधिकारी का होता है, जबकि पहले मामले में, निर्णय पूरे विभाग का होता है और कई अधिकारियों के संचयी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और इस अर्थ में यह संस्थागत होता है न कि व्यक्तिगत। श्वाट्र्ज ने संस्थागत निर्णय को "प्रतिनिधि प्रकार की सुनवाई और निर्णय" के रूप में चित्रित किया है।

इसलिए, राज्य इस तथ्य का दावा नहीं कर सकता कि मामले की सुनवाई संयुक्त सचिव द्वारा की गई थी और आदेश प्रधान सचिव द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन यह संस्थागत सुनवाई की परिभाषा के अंतर्गत आएगा क्योंकि धारा 40 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे अपील पर निर्णय लेने की अपीलीय शक्ति राज्य को प्रदान की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. दस्तावेजों से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, संयुक्त रजिस्ट्रार सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन संयुक्त रजिस्ट्रार ने सुनवाई जारी रखी और 15.07.2020 को एक आदेश पारित किया, जो डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1721/2020 में अनुलग्नक पी–24 के रूप में दायर किया गया। इसलिए, इस बात पर आपत्ति जताने के बावजूद कि उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा मामले की सुनवाई करने का विशिष्ट निर्देश दिया गया था, संयुक्त रजिस्ट्रार ने सुनवाई जारी रखी और उसके बाद, सुनवाई समाप्त होने के बाद, प्रमुख सचिव द्वारा आदेश पारित किए गए। इस तरह राज्य द्वारा

विरोधाभासी रुख अपनाया गया और अंततः राज्य ने इस सिद्धांत पर वापस लौटने की कोशिश की कि यह एक संस्थागत सुनवाई है। इसलिए दिए गए तथ्यों के आधार पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप संयुक्त सचिव द्वारा पारित दिनांक 15.07.2020 (अनुलग्नक पी–24) का आदेश जो डब्ल्यू.पी(सी) संख्या 1835/2020 में दायर किया गया है, रद्द किया जाता है।

53. सदस्यों द्वारा दायर WP(C) संख्या 1835/2020 एवं अन्य में, सदस्यों ने पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था। उक्त आवेदन रिट याचिका में अनुलग्नक P–23 के रूप में 13.07.2020 को दायर किया गया था। संयुक्त सचिव ने 15.07.2020 के आदेश अनुलग्नक P–24 द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया है। बेशक, मुख्य सुनवाई का मामला जिस पर सदस्य पक्षकार बनना चाहते थे, 16.07.2020 को तय किया गया था, जिसके लिए अभियोग आवेदन 13.07.2020 को दायर किया गया था। हालाँकि, तारीख आगे बढ़ा दी गई और आदेश 15.07.2020 को पारित किए गए। जब संयुक्त सचिव के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तो केवल इस आधार पर अस्वीकृति की गई कि आवेदन विलंबित था। प्रतिवादी क्रमांक 3 हरक जैन जो शिकायतकर्ता थे, ने अपनी अपील में पक्षकार/प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के इच्छुक कुछ सदस्यों को नहीं बनाया था। रजिस्ट्रार को तीन नाम भेजने के सोसायटी के पिछले आचरण के अलावा सदस्यता की वैधता के अस्तित्व को 18.11.2007 को आयोजित आम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभा की बैठक में और अधिक वैध बनाया गया था, इसलिए, शिकायतकर्ता हरक जैन भी इस तथ्य से अवगत थे कि ये व्यक्ति सदस्य थे जो अपील में पक्षकार बनना चाहते थे। हालांकि, तारीख को आगे बढ़ाकर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। तारीख को इस तरह आगे बढ़ाकर, संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा घोर प्रक्रियात्मक अनियमितता की गई थी और निष्पक्षता की मांग है कि जिन सदस्यों को पक्षकार बनाया जाना था, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, भले ही आवेदन का जो भी परिणाम होगा।

54. पक्षकारों की अनुपस्थिति में सुनवाई की तिथि को आगे बढ़ाना स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के नियमों को पराजित करता है। **उमा नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2009) 12 **एससीसी** 40 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक प्रशासनिक आदेश, जिसमें नागरिक परिणाम शामिल हैं, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। 'नागरिक परिणाम' शब्द में न केवल संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन शामिल है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, भौतिक वंचना और गैर–आर्थिक क्षति भी शामिल है। इसके व्यापक दायरे में वह सब कुछ आता है जो एक नागरिक को उसके नागरिक जीवन में प्रभावित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

55. प्राकृतिक न्याय की अवधारणा और जब इसका दीवानी परिणाम हो तो सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार विचार किया है। जो सदस्य पक्ष बनना चाहते थे, अगर उन्हें इन याचिकाओं में दिए गए आदेश द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से इसका दीवानी परिणाम होगा, इसलिए, क्या

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को दरकिनार किया जा सकता है, इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार दिया है। **सेंट्रल होम्योपैथिक एंड बायोकैमिक एसोसिएशन, ग्वालियर, 2013(2) एमपीएलजे 2013 419 (पैरा 18 और 19)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 एससीसी 405** और **स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ (1981) 1 एससीसी 664** में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया गया है और उन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. ".....आज, हमारे न्यायशास्त्र में, प्राकृतिक न्याय द्वारा की गई प्रगति पुरानी सीमाओं से कहीं अधिक है और यदि न्यायिक रचनात्मकता उप–क्षेत्रों को प्रभावित करती है, तो यह केवल सरकार की समानता में सुधार करने के लिए है, इसके पहियों में निष्पक्षता का संचार करके.....कानून अमूर्तता की दुनिया में नहीं बल्कि ठोसता के ब्रह्मांड में रहता है और कुछ अच्छा त्यागना केवल चरम मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। यदि अनसुनी निंदा करना गलत है, तो यह गलत है सिवाय इसके कि यह गंभीर सामाजिक आवश्यकता से परे हो....."

स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राय व्यक्त की:

"44..... निष्पक्षता के इस नियम को "अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही त्यागा जाना चाहिए, जब बाध्यकारी आवश्यकता ऐसा करने की मांग करती है। न्यायालय को इस प्रमुख नियम को यथासंभव अधिकतम सीमा तक, परिस्थितिजन्य संशोधनों के साथ बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।"

19. इस न्यायालय की राय में, आरोपित आदेश का प्रभाव याचिकाकर्ताओं पर नागरिक परिणाम डालता है। सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त** मामले में निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"66.....'नागरिक परिणाम' निःसंदेह न केवल संपत्ति या व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन को कवर करते हैं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता, भौतिक वंचना और गैर–प्राथमिक क्षति को भी कवर करते हैं। अपने व्यापक अर्थ में, नागरिक जीवन में नागरिक को प्रभावित करने वाली हर चीज नागरिक परिणाम देती है....."

56. इसके अलावा **मांगीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2004 एआईआर एससीडब्लू 137** में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"10. भले ही कोई क़ानून मौन हो और अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई सकारात्मक शब्द न हों, फिर भी उन पक्षों की सुनवाई की आवश्यकता को स्पष्ट करने में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है जिनके अधिकार और हित, पारित किए जाने वाले आदेशों से प्रभावित होने की संभावना है, और निर्णय लेने से पहले निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता बनाना, जब तक कि क़ानून अन्यथा प्रदान न करे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को क़ानून के खाली अंतराल में पढ़ा जाना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट आदेश न हो। किसी भी रूप या प्रक्रिया को मुकदमेबाज के बचाव या स्टैंड की प्रस्तुति को बाहर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रक्रियात्मक कानूनों में प्रावधान की अनुपस्थिति में भी, न्यायिक या अर्ध–न्यायिक चरित्र के प्रत्येक न्यायाधिकरण/न्यायालय में, अपने कर्तव्यों का बेहतर और उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तौर–तरीकों को अपनाने की शक्ति निहित है। प्रक्रिया मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है, चाहे किसी भी स्थिति में उस संबंध में स्पष्ट प्रावधान द्वारा इसके आवेदन की सीमा कुछ भी हो। यह हमेशा से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक पोषित सिद्धांत रहा है। जहां कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बारे में चुप है, ऐसी वैधानिक चुप्पी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के रूप में लिया जाता है, जहां पक्षों के पर्याप्त अधिकार काफी प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक न्याय का आवेदन तब तक प्रकल्पित हो जाता है, जब तक कि कानून के स्पष्ट शब्दों या आवश्यक इरादे से इसे बाहर नहीं रखा जाता है। (स्वदेशी कॉटन मिल्स आदि आदि बनाम भारत संघ आदि आदि, एआईआर 1961 एससी 818 देखें)। इसका उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना या न्याय की विफलता को रोकना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कानून को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, बल्कि इसके पूरक हैं। ये नियम केवल उन क्षेत्रों में काम करते हैं जो किसी भी वैध रूप से बनाए गए कानून द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। वे एक लक्ष्य के साधन हैं, न कि स्वयं में लक्ष्य। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कई पहलू हैं। उनमें से दो हैं; मामले की सूचना देना और स्पष्टीकरण देने का अवसर देना।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

57. सुनवाई में इस तरह की देरी और पक्षकार बनने के लिए आवेदन को खारिज करने से निश्चित रूप से उन सदस्यों पर गंभीर परिणाम होंगे जो अपील में पक्ष बनना चाहते थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि अपील लंबित रहने के

दौरान आवेदन ही दायर नहीं किया गया था, इसलिए सदस्यों को अधिकार नहीं है। किसी भी मामले में, हालांकि सोसायटी एक प्रतिनिधि क्षमता में काम कर रही थी, लेकिन जिन सदस्यों को बाहर किया गया है, उन्हें सुनवाई में देरी करके अपनी शिकायत व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है, वह भी याचिकाकर्ताओं की पीठ पीछे। चूंकि विवादित आदेश अर्ध न्यायिक कार्य का परिणाम है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रक्रियात्मक नतीजों पर हावी हो जाएंगे, इसलिए, यदि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई के सिद्धांतों को हाथ में लिए मामलों पर लागू किया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि सदस्यों को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और उन्हें आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

58. जब आरोपित आदेश अनुलग्नक पी–1 की जांच की जाती है, तो यह दर्शाता है कि 1991 से 1997 तक सोसायटी में भर्ती हुए सदस्य अयोग्य थे। इसमें दर्ज है कि 18.11.2007 की आम सभा की बैठक, जिसके द्वारा सदस्यों को वैध घोषित किया गया था, को इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 28.06.2007 की जांच रिपोर्ट में सदस्यों को अयोग्य घोषित किया गया है। उक्त आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होता है, क्योंकि रजिस्ट्रार द्वारा 1973 के अधिनियम की धारा 32(4) के तहत 28.06.2007 को दिए गए निर्देश में तथ्य दर्ज हैं कि कार्यकारी निकाय अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए वैध सदस्यों के बीच चुनाव कराया जाए और विशिष्ट निर्देश दिया गया था। इसके बाद आम सभा ने

18.11.2007 को बैठक आयोजित की और रजिस्ट्रार को सूचित किया, जिसके लिए रजिस्ट्रार द्वारा 26.12.2007 को संतुष्टि दर्ज की गई। संशोधन के संबंध में, यह माना गया है कि सदस्यता का हस्तांतरण वंशानुगत बना दिया गया है क्योंकि यह उद्देश्य को विफल करता है। चूंकि उक्त मुद्दा संशोधन द्वारा बनाए गए सदस्यों के अधिकारों को काट रहा था, इसलिए यह सोसायटी के उद्देश्य के अनुसार था या नहीं, यह तय किया जाने वाला एक माध्यमिक मुद्दा होगा, लेकिन इससे पहले सदस्यों को सुना जाना आवश्यक था। इसलिए, इस मोड़ पर, यह न्यायालय संशोधन की वैधता पर कोई टिप्पणी करने से परहेज करता है और जैसा कि प्रतीत होता है कि शायद मुकदमेबाजी का एक और दौर देखने को मिले।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

59. इसके अलावा, 21.07.2020 को सोसायटी के 11 संस्थापक सदस्यों के बीच एक बैठक आयोजित करने का निर्देश पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3/ /अपीलकर्ता हरक जैन अदालत को यह संतुष्ट करने में विफल रहे हैं कि अपील में ऐसी प्रार्थना की गई थी या नहीं। अपील का ज्ञापन (अनुलग्नक पी–7) प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं दर्शाता है। अपील ज्ञापन में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। जब ज्ञापन में विशेष रूप से राहत का दावा नहीं किया जाता है तो क्या ऐसी राहत दी जा सकती है, यह मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा **बच्छज नाहर बनाम नीलिमा मंडल (2008) 17 एससीसी 491** में निर्धारित किया गया था और इसे पैरा 23 में इस प्रकार माना गया था:

23. यह मौलिक है कि सिविल मुकदमे में, दी जाने वाली राहत केवल दलीलों में की गई प्रार्थनाओं के संदर्भ में ही दी जा सकती है। इसके अलावा, सिविल मुकदमों में, राहत प्रदान करना विभिन्न कारकों जैसे कि न्यायालय शुल्क, सीमा, मुकदमों के पक्षकारों, तथा राहत को रोकने वाले आधारों, जैसे कि रेस–ज्यूडिकाटा, एस्टोपल एक्विजिशन, कार्रवाई के कारणों या पक्षों का गैर–संयुक्त होना आदि से घिरा होता है, जिसके लिए दलील और सबूत की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह मानना खतरनाक होगा कि सिविल मुकदमे में जो भी राहत मांगी गई हो, न्यायालय तथ्यों की जांच करने के बाद कोई भी राहत दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। एक लाख रुपये की वसूली के लिए मुकदमे में, न्यायालय दस लाख रुपये की डिक्री नहीं दे सकता। संपत्ति 'ए' के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमे में, न्यायालय संपत्ति 'बी' का कब्जा नहीं दे सकता। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना करने वाले मुकदमे में, न्यायालय घोषणा या कब्जे से राहत नहीं दे सकता। सिविल मुकदमे में राहत देने का अधिकार क्षेत्र अनिवार्य रूप से दलीलों, प्रार्थना, भुगतान की गई अदालती फीस, पेश किए गए साक्ष्य आदि पर निर्भर करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

60. चूंकि राज्य द्वारा यह कहा गया है कि नए चुनाव पहले ही हो चुके हैं, इसलिए इस मुद्दे पर भी इस न्यायालय द्वारा पूर्वगामी पैराग्राफ में दिए गए निष्कर्ष के मद्देनजर आगे निर्णय लिया जाना आवश्यक है। चूंकि आदेश (अनुलग्नक पी–1) को अलग रखा गया है, इसलिए इसके परिणाम सामने आएंगे। ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, निम्नलिखित निर्देश पारित किए जाते हैं:

(i) राज्य द्वारा पारित दिनांक 21.07.2020 का आदेश (अनुलग्नक पी–1) अपास्त किया जाता है। चूंकि आदेश अपास्त किया गया है, इसलिए परिणाम निम्नलिखित होंगे;

(ii) यह माना जाता है कि सोसायटी के वे सदस्य जिनके नाम अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अंतर्गत अनुपालन सूची में शामिल हैं और जिन्हें 18.11.2007 की आम सभा की बैठक द्वारा सोसायटी के सदस्य के रूप में मान्य किया गया है, वे सोसायटी के सदस्य होंगे।

(iii) संशोधन के संबंध में, संशोधन की वैधता पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस समय यह देखा गया है कि चूंकि संशोधन को रद्द कर दिया गया था, जो सदस्यों के अधिकार को छीन लेता है, इसलिए इसका एक नागरिक परिणाम होगा, इसलिए सदस्यों को संशोधन की वैधता को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) जिन सदस्यों ने अभियोग के लिए आवेदन किया है, उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव द्वारा पुनः सुनवाई का अवसर देकर पुनः सुनवाई की जाएगी तथा उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 आदेश पारित करेगा। सुनवाई सोसायटी के उपनियमों के संशोधन भाग तक ही सीमित रहेगी।

61. उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के मद्देनजर, रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**